PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

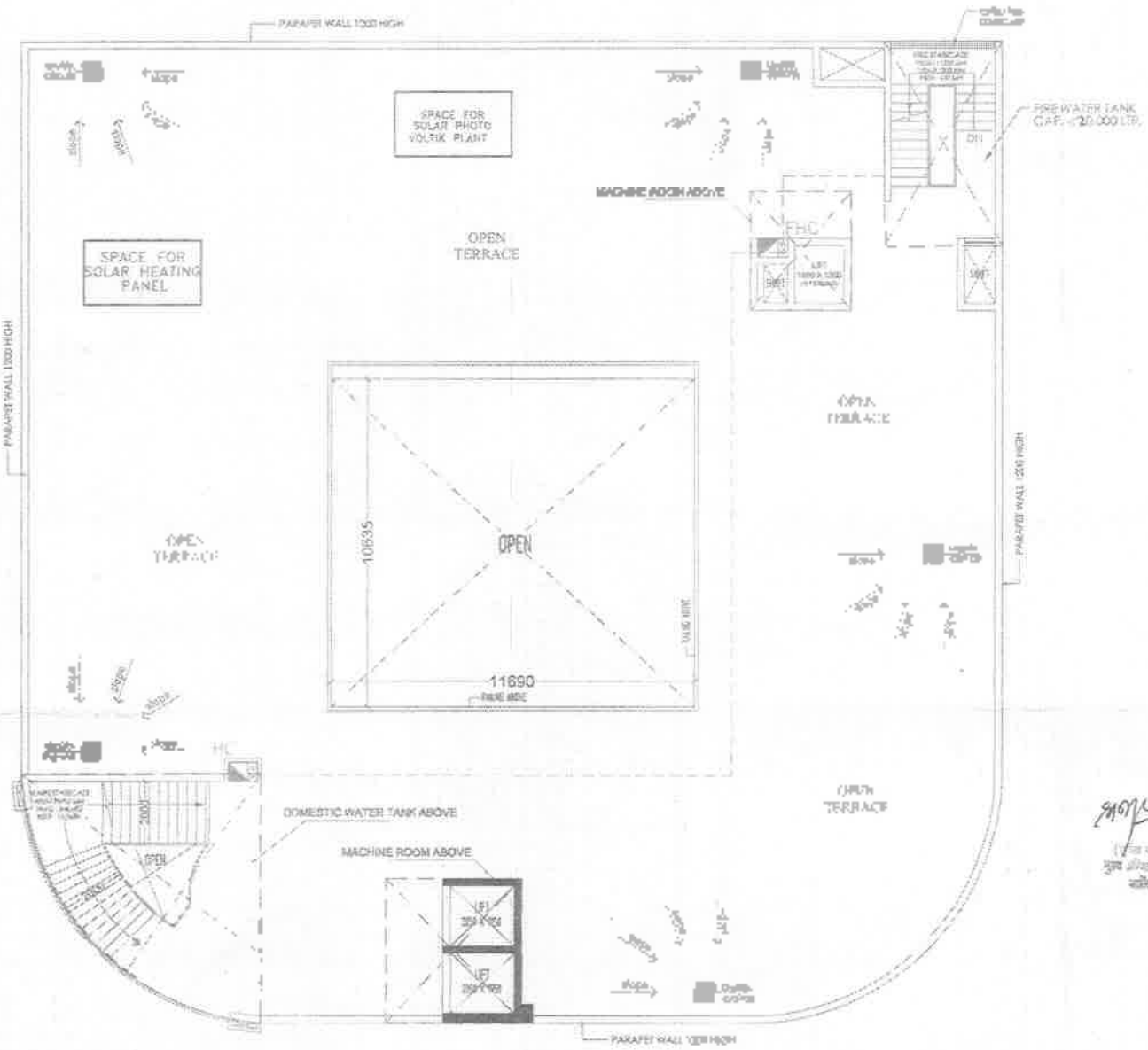

TERRACE FLOOR PLAN
(+ 35.30 LEVEL)

LEGEND

CONSTRUCTION DEPARTMENT FOR THE CONSTRUCTION PROJECT "AMRAPALI"
ASHOK KUMAR
TERRACE PLAN
CD-12

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

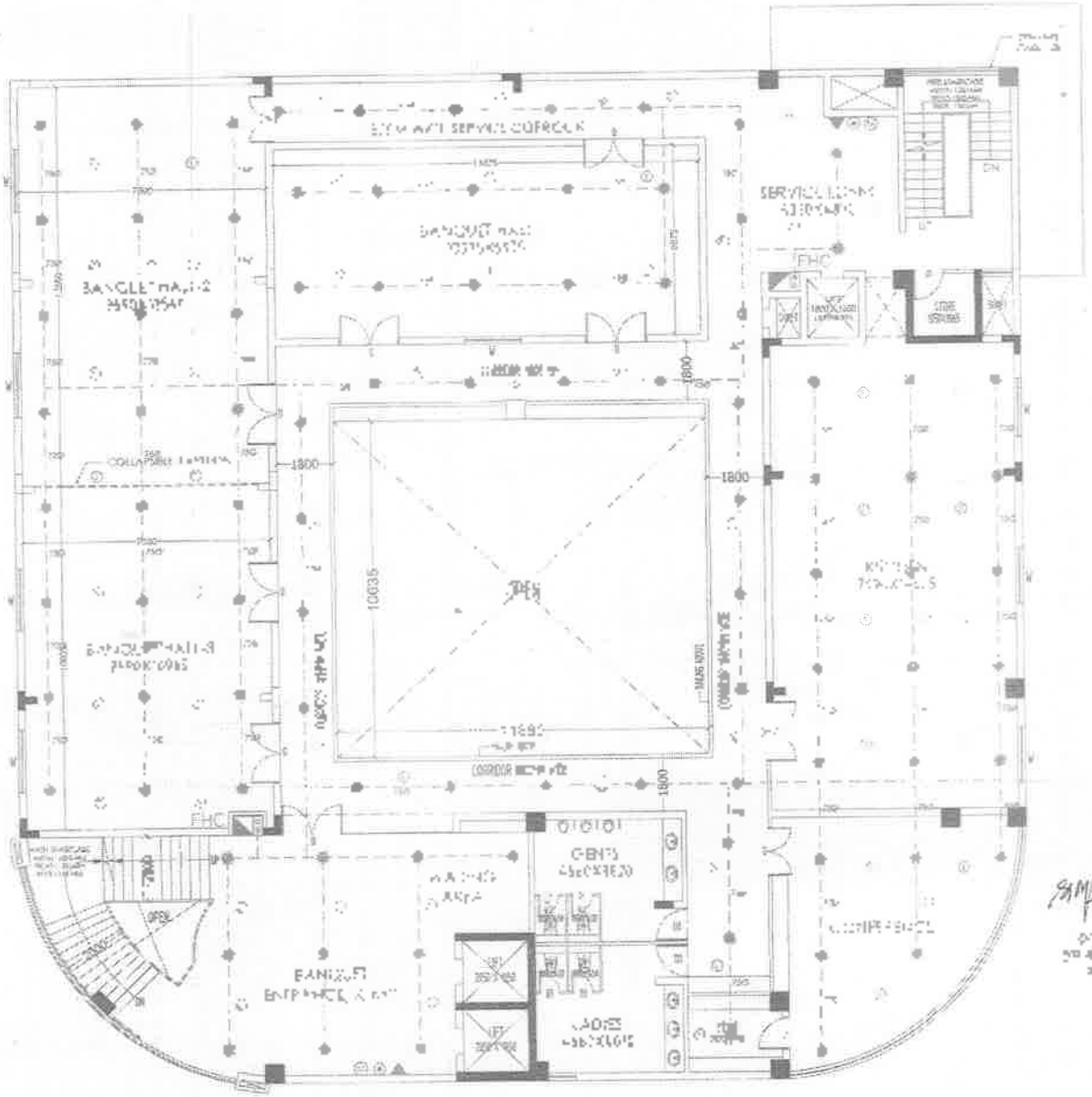

7th FLOOR PLAN
[1 : 21.80 LEVEL]

अतिरिक्त आयुक्त
अग्निशमन अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद

पत्र संख्या/DD/FS/MR-Tech
दिनांक 10-12-17

(DESIGN)
7th FLOOR PLAN (22.30M)

CD-11

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

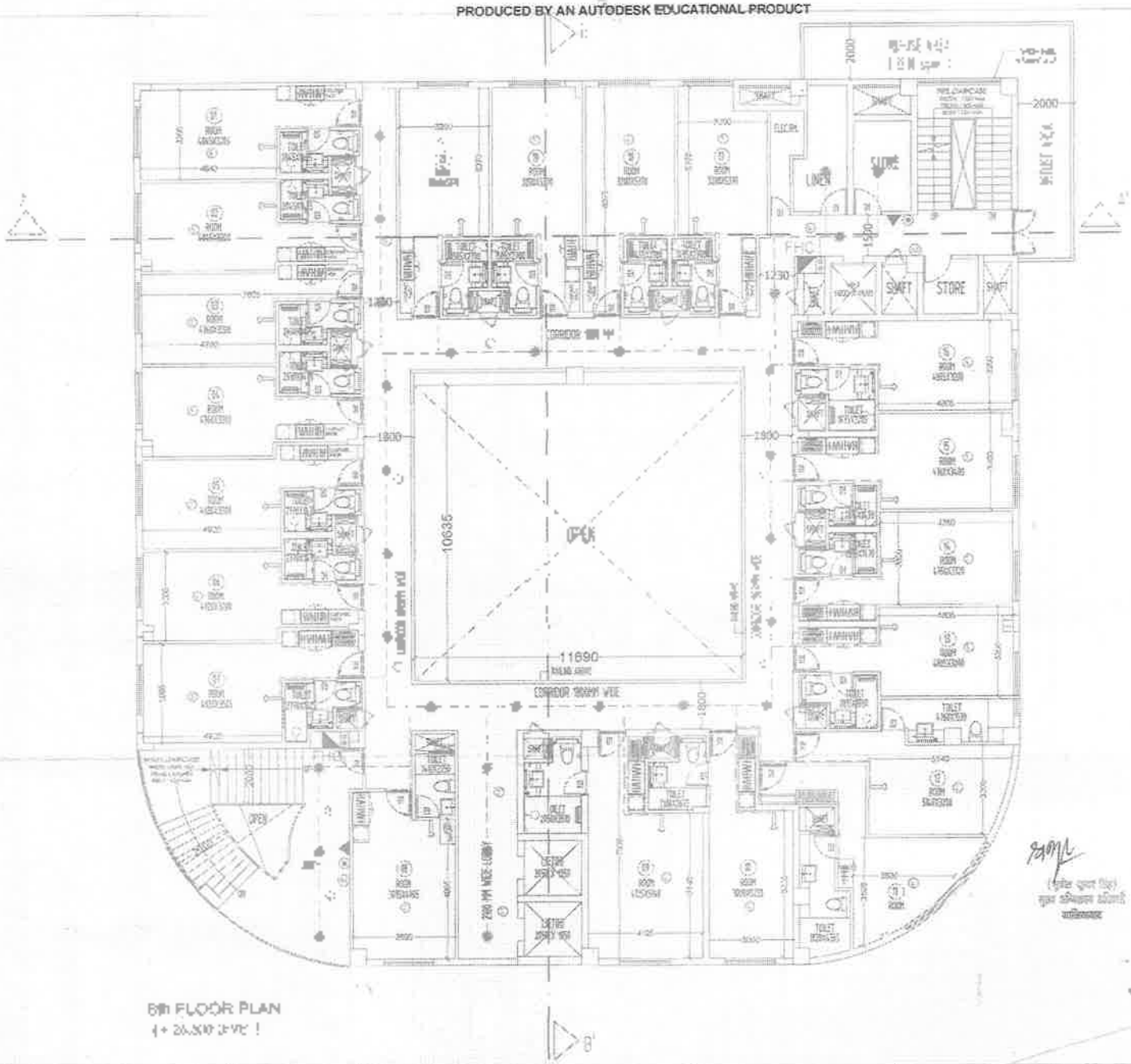

8th FLOOR PLAN

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC			SEL. EQPT. PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORM./ FIRE	NORM. / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Priticular									–				
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	25	85.5	100	AF	1	100	1400	16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CONSULTING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT "MALL"
PLOT NO.-8, SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD.

8th FLOOR PLAN

CD-10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

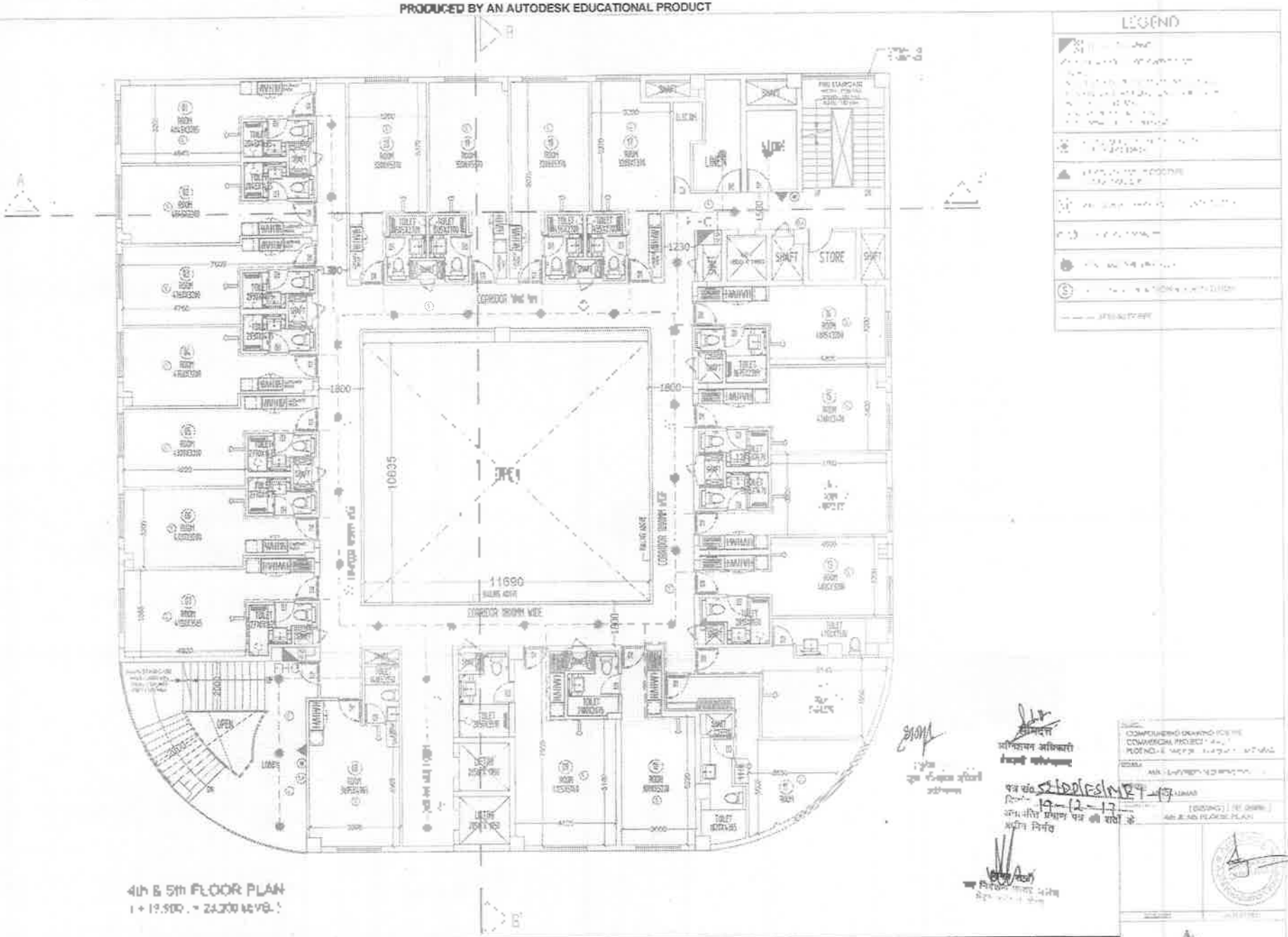

4th & 5th FLOOR PLAN
1 = 19.500 . = 24.200 LEVEL

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC.			SEL EQPT PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORMAL/ FIRE	NORMAL / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Particular													
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	15	85.5	100	AF	1	100	100	16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT
PLOT NO.-E
AIR & NO PLANS PLAN

CD-09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

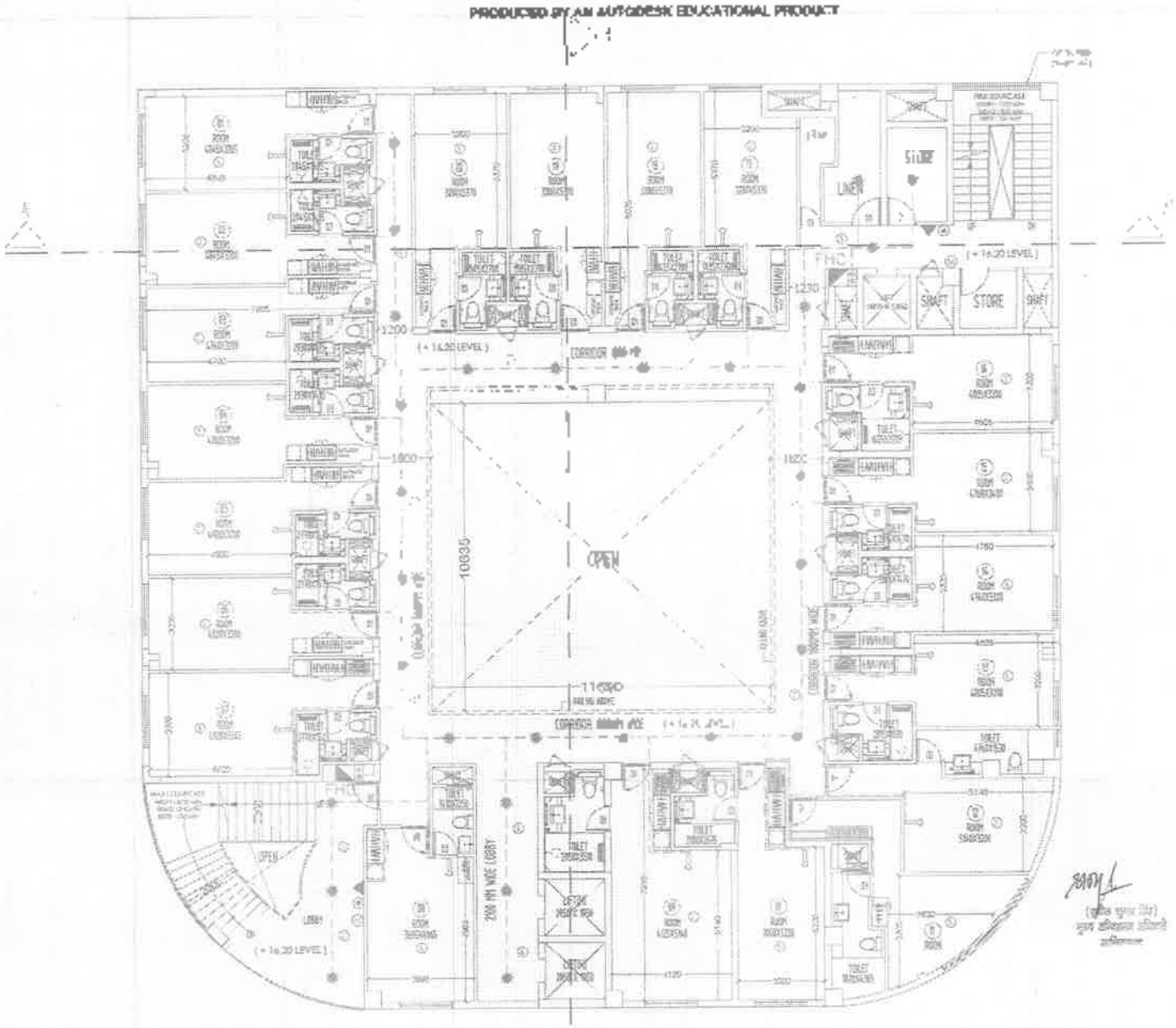

THIRD FLOOR PLAN
(+16.20 LEVEL)

LEGEND

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC.			SEL. EQPT. PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORM./ FIRE	NORM. / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT.	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Pirticular													
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	15	85.5	100	AF	1	100	1400	16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

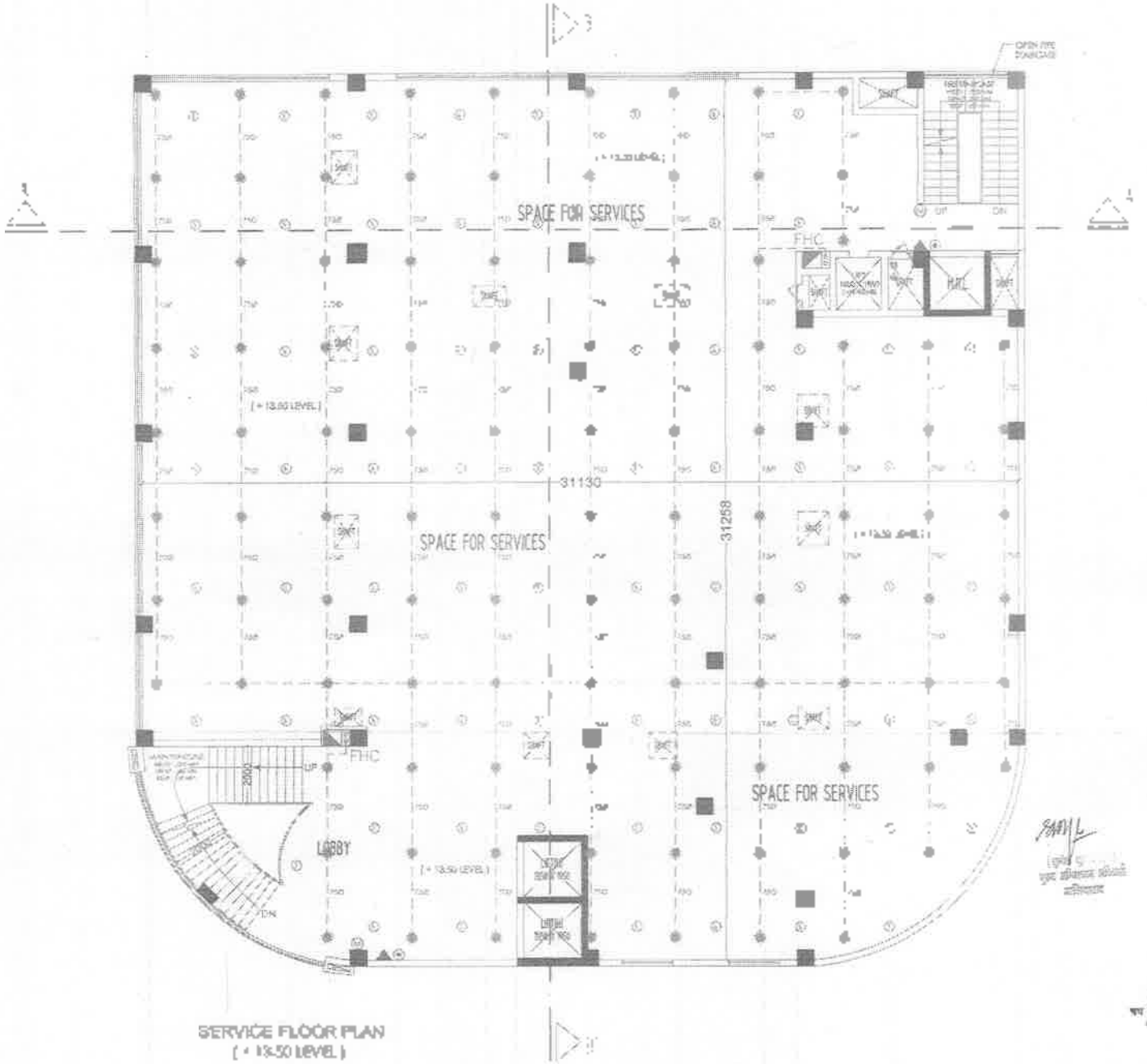

SERVICE FLOOR PLAN
(+13.50 LEVEL)

LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SECOND FLOOR PLAN
(+ 9.30 LEVEL)

LEGEND

अभिदान अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद

नगर आयुक्त
गाजियाबाद

पत्र सं० 38/DDS/MRT-17
19-12-17

COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT "MALL"
PLOT NO.- 2, SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD

M/S. DAINIKA DEVELOPERS PVT. LTD.

ASHOK KUMAR

(EXISTING) (DEMOLISH)

SECOND FLOOR PLAN

ASHOK KUMAR ARCHITECTS

CD-08

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

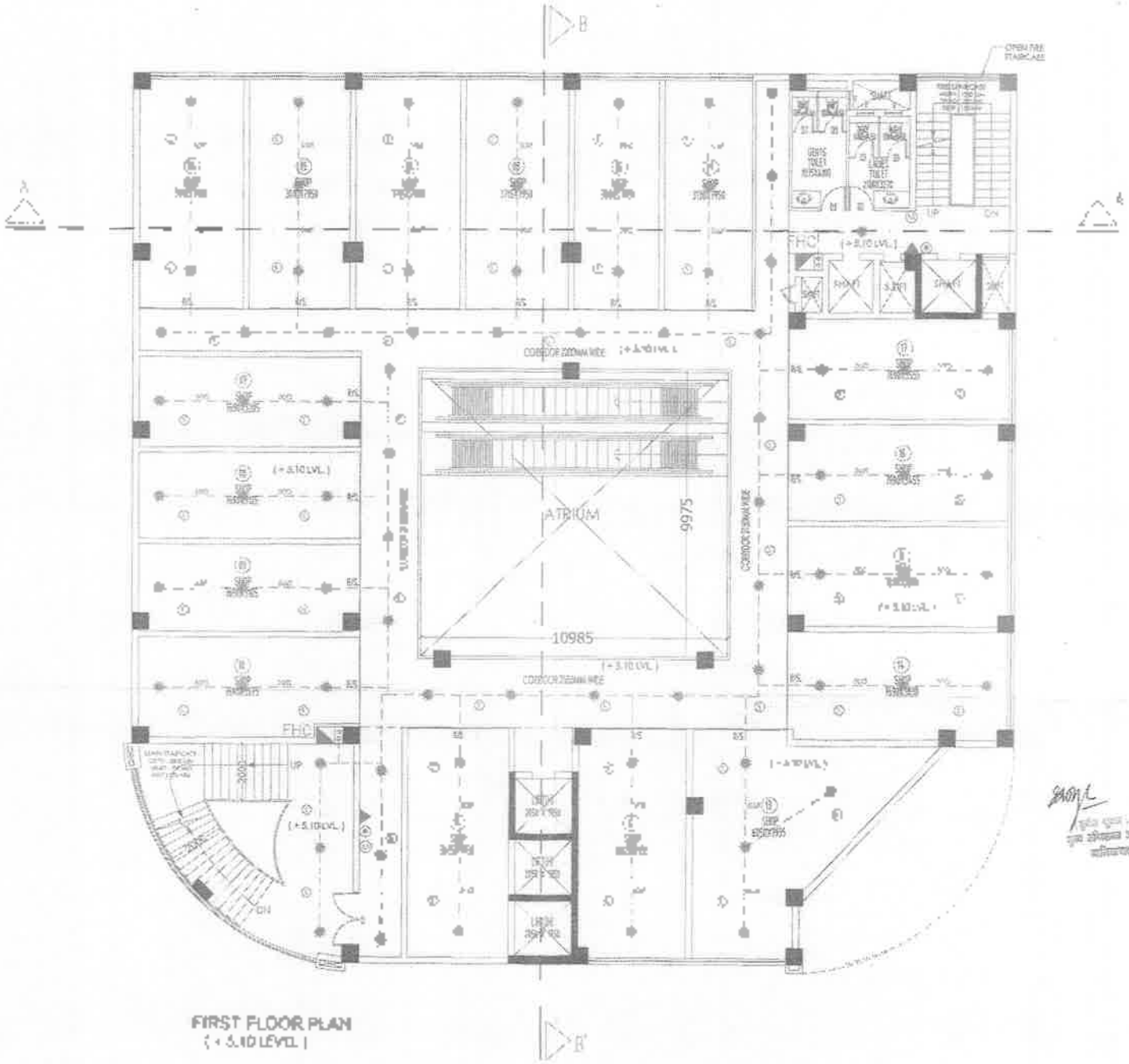

FIRST FLOOR PLAN
(+5.10 LEVEL)

LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

अग्निशमन अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद

पत्र सं. 521/DT/PS/MR-17
दिनांक 19-12-17

COMPOSITE DRAWING FOR THE
COMMERCIAL PROJECT "MALL"
PLOT NO.-1, SECTOR-1, VAISHALI GHAZIABAD

1st FLOOR PLAN (GROUND)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

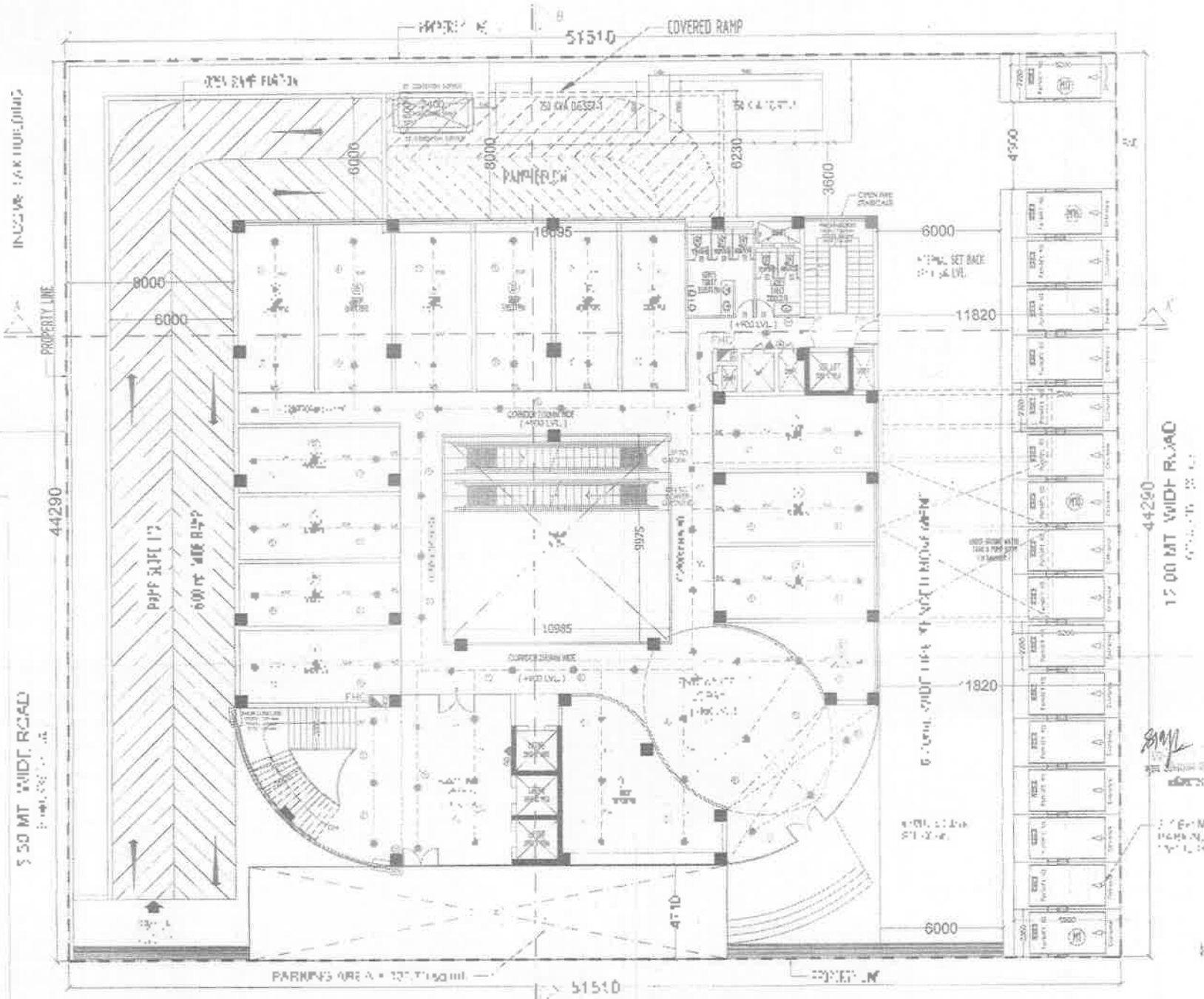

GROUND FLOOR PLAN

LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CD-04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

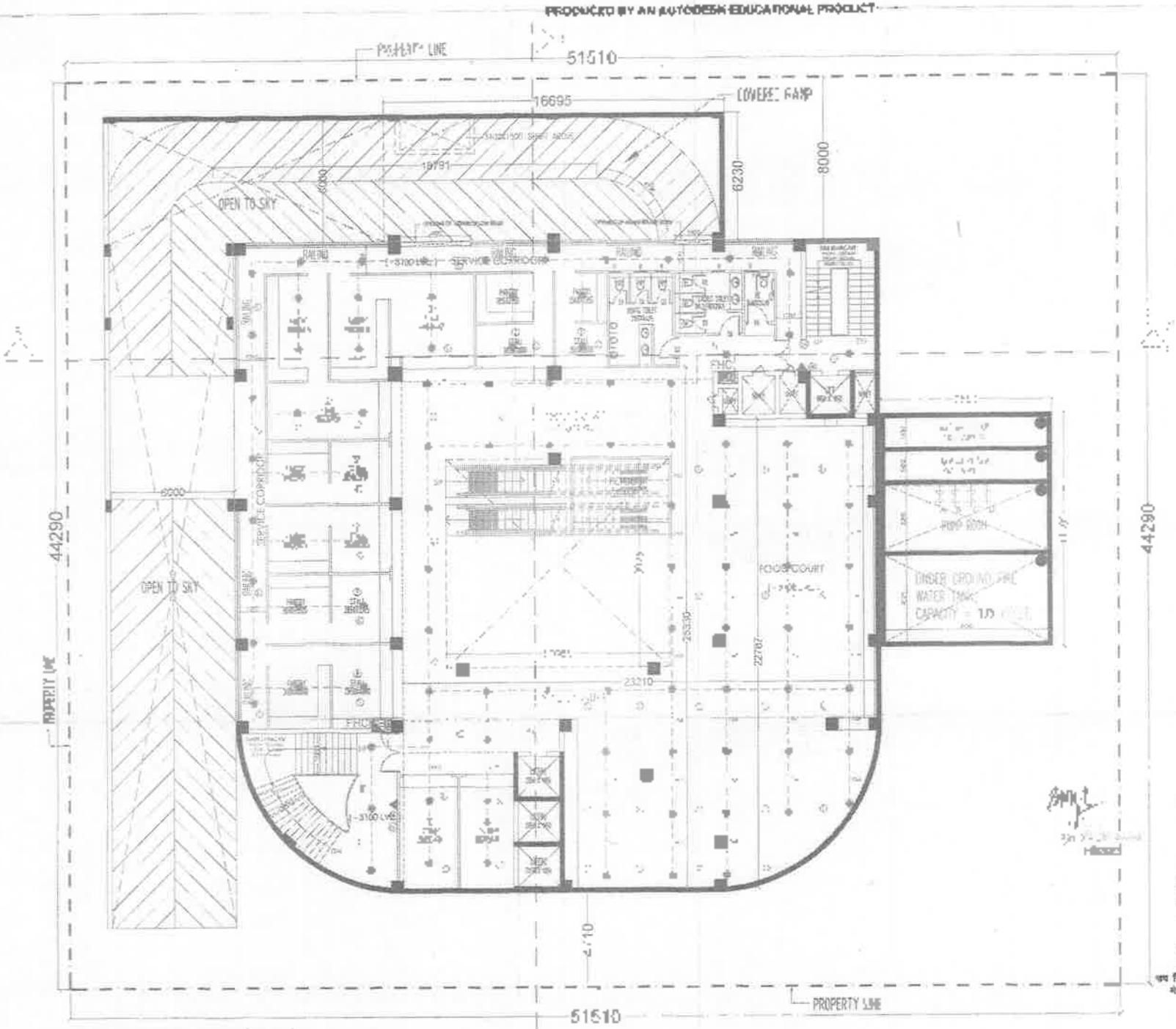

LOWER GROUND FLOOR PLAN
(-3.10 LEVEL)

LEGEND

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

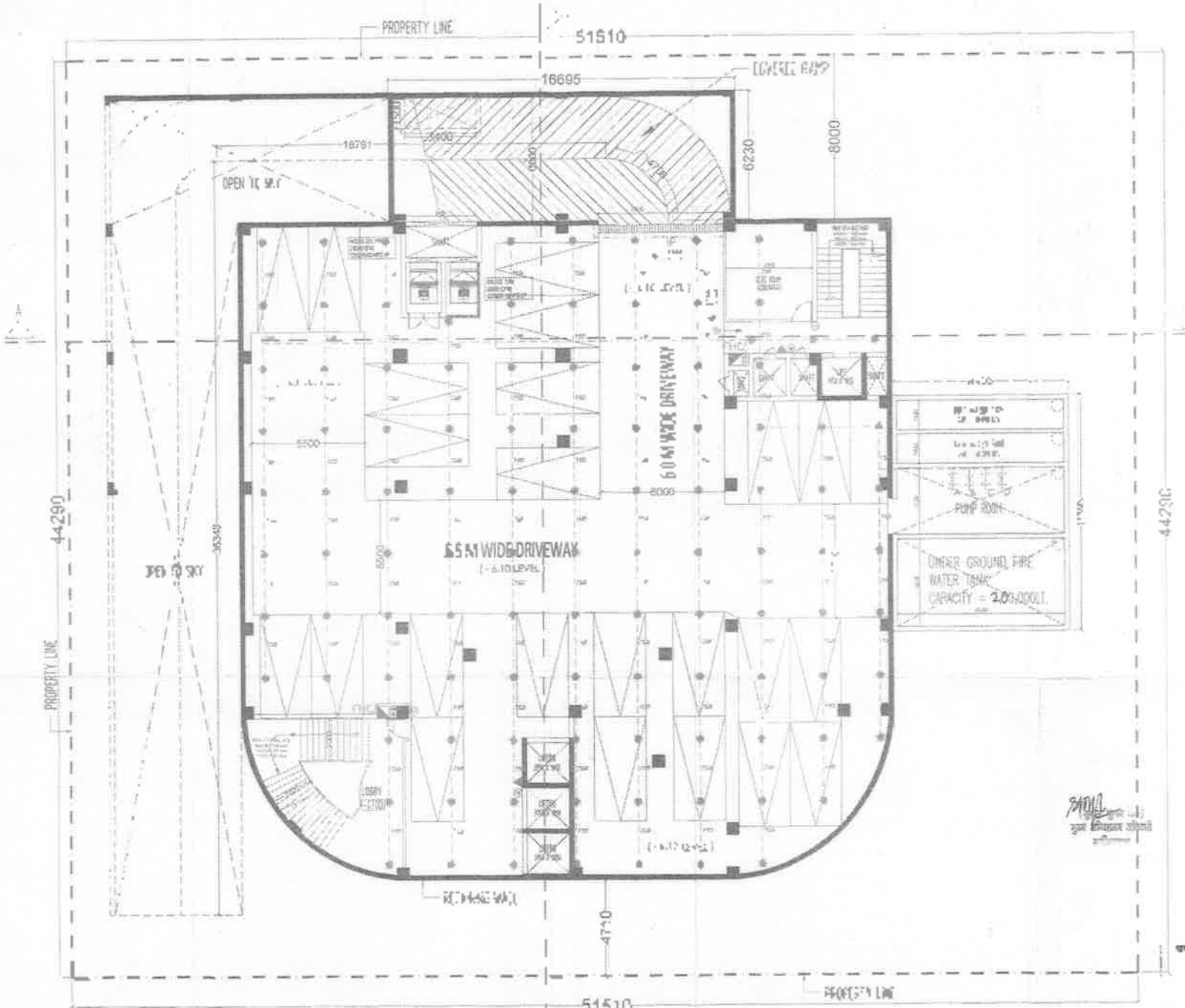

BASEMENT PLAN
(-6.10 LEVEL)

LEGEND

PENDANT TYPE SPRINKLER

VALVE

SPRINKLER PIPES DIA.

PUMP ROOM DETAIL

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

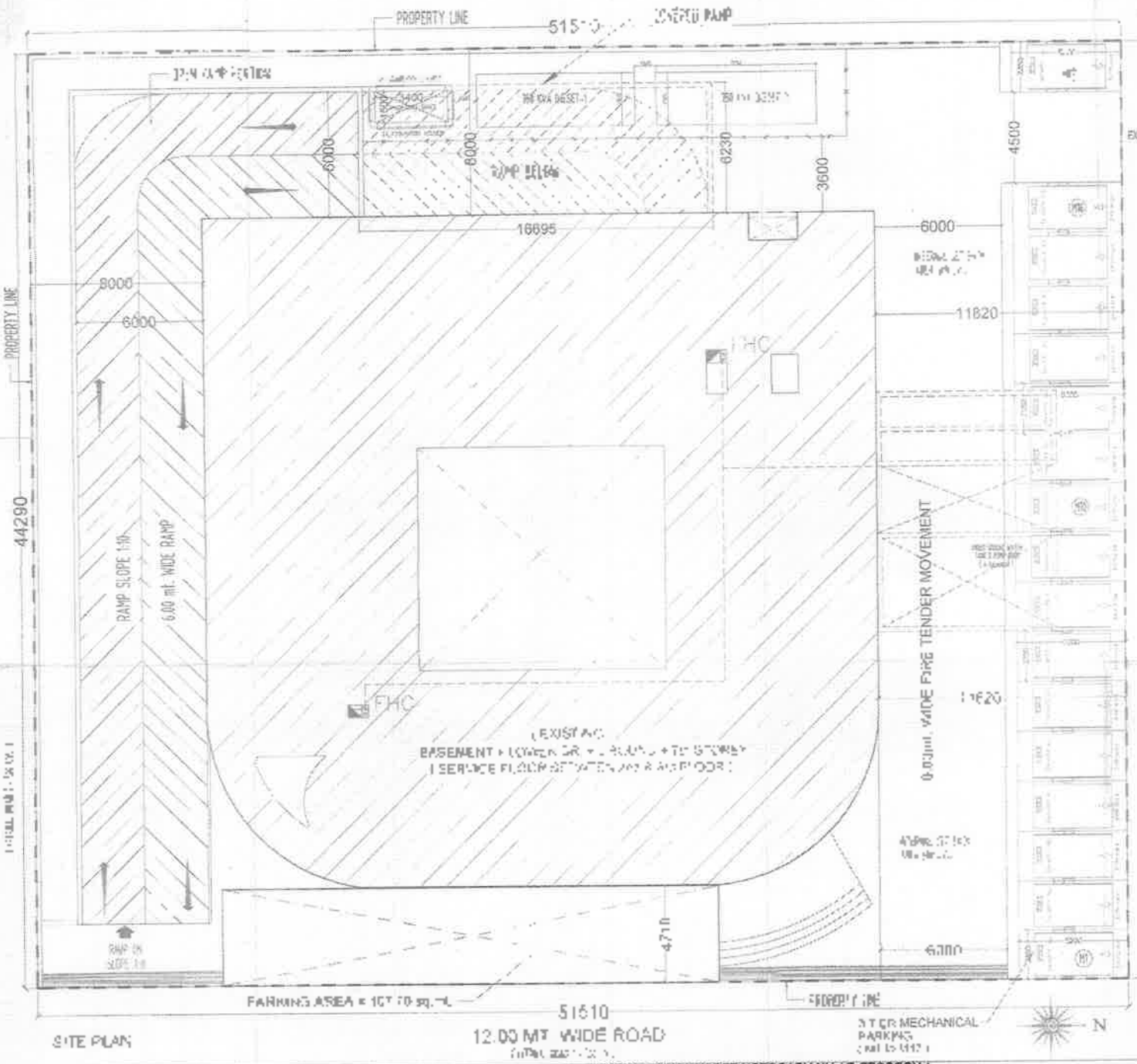

SITE PLAN

S.NO	PARTICULARS	SQ.MTS
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]

S.NO	FLOORS	EXISTING AREA
A	LOWER [illegible]	[illegible]
B	GROUND FLOOR	[illegible]
C	FIRST FLOOR	[illegible]
D	[illegible]	[illegible]
E	THIRD FLOOR	[illegible]
G	FOURTH FLOOR	[illegible]
H	FIFTH FLOOR	[illegible]
I	SIXTH FLOOR	[illegible]
J	SEVENTH FLOOR	607.05
	[illegible]	7,434.62
F	EXISTING FIRE STAIR CASE AREA [illegible]	[illegible]

MERCANTILE BUILDING [F]

LEGEND

SYMBOL	[illegible]
[illegible]	[illegible]

CD-01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

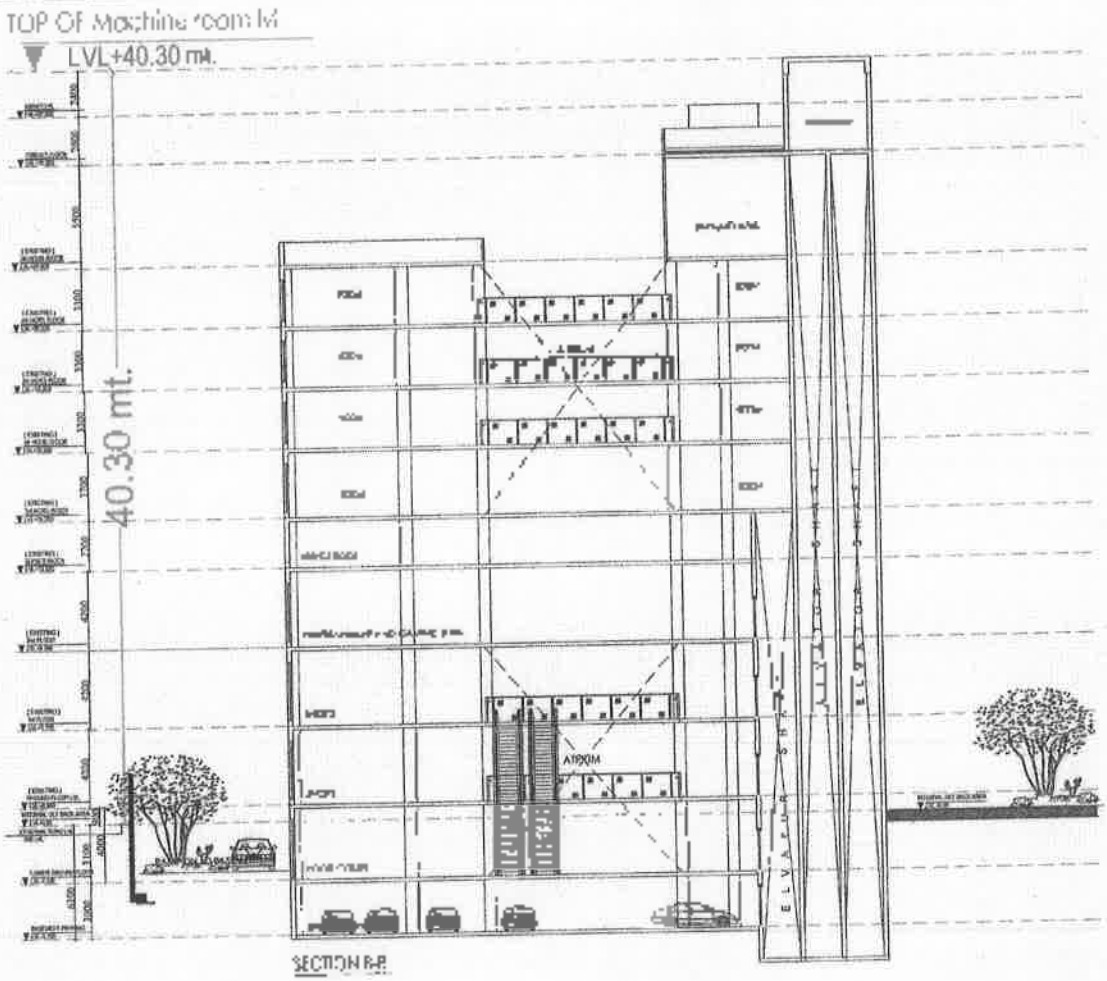
TOP OF Machine room lvl
LVL+40.30 mt.
40.30 mt.
SECTION B-B

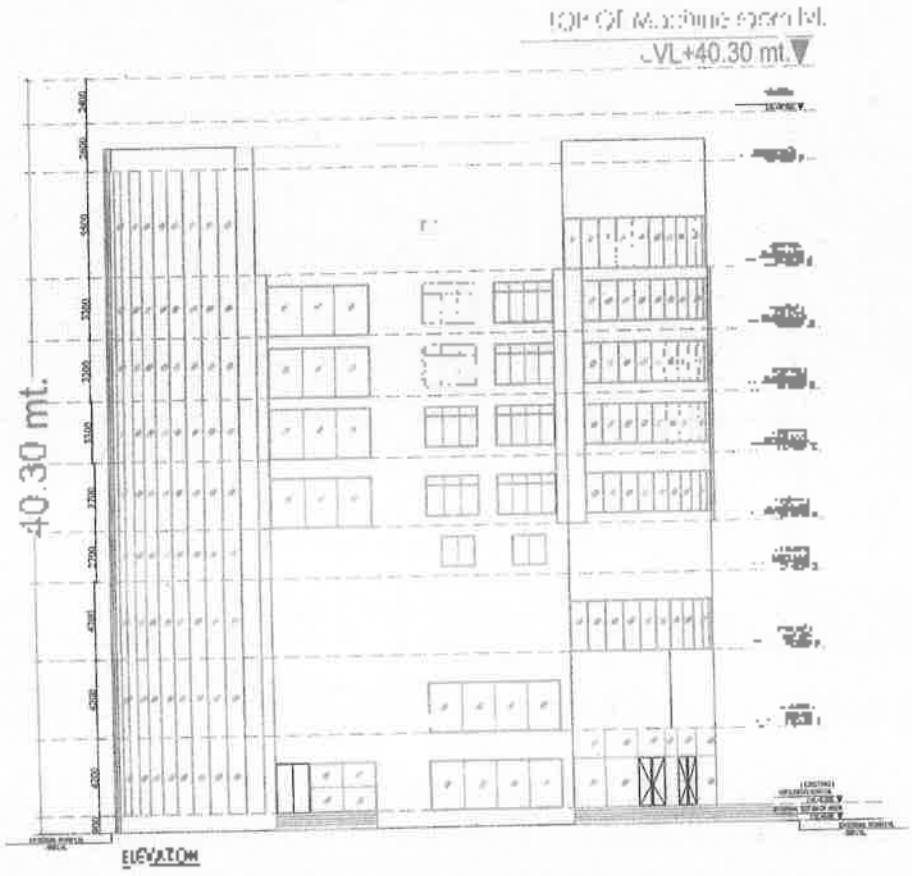
TOP OF Machine room lvl.
LVL+40.30 mt.
40.30 mt.
ELEVATION

SECTION
ED-02

65

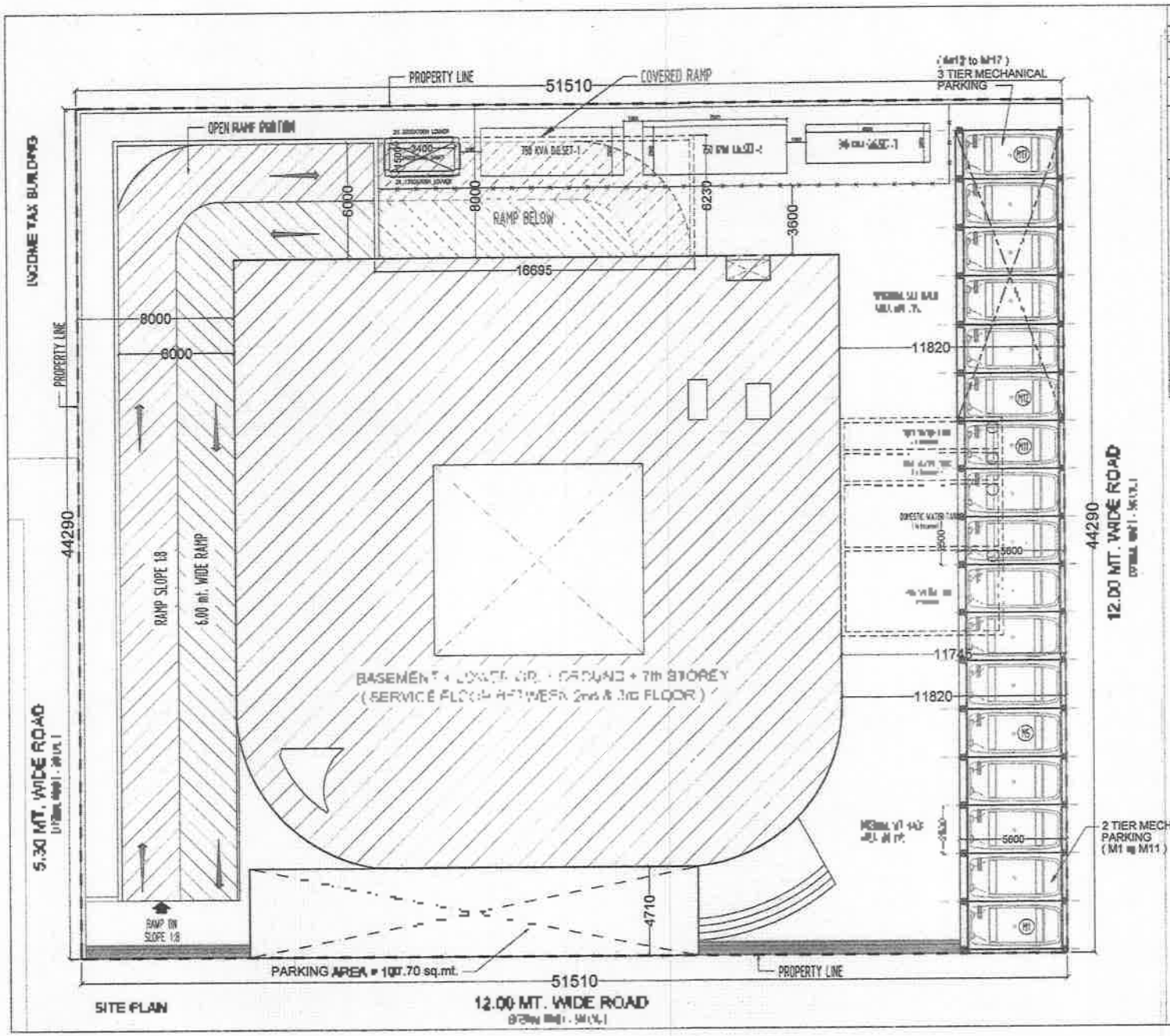

AREA STATEMENT

S.NO	PARTICULARS	SQ.MTR.
1	TOTAL PLOT AREA	[illegible]
2	[illegible] FLOOR AREA	[illegible]
3	TOTAL EXISTING BASEMENT AREA (in non f.a.r.) (in parking use including covered ramp)	[illegible]
4	ALLOWED F.A.R. AREA = PERMISSIBLE F.A.R. + [illegible] = 6,781.46 + 678.14 = 7,459.60 sq.mt.	[illegible]
5	PARKING F.A.R. AREA	[illegible]
	FLOOR	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	----
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	TOTAL	[illegible]
6	[illegible] (in non f.a.r.)	[illegible]

PROJECT: COMPOUND [illegible] FOR [illegible]

OWNER: M/s. SAHYADRI SECURITIES PVT. LTD.

DESIGNER: [illegible]

SITE ADDRESS: [illegible]

SIGNATURE: [illegible]

DESIGNER: ARCHITECTURAL

DESIGN PARTNERS: ARKE ACADEMIC ARCHITECTS

[illegible]

DATE: [illegible]

DRAWN: [illegible]

DATE: [illegible]

DRAWING NO.: [illegible]

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

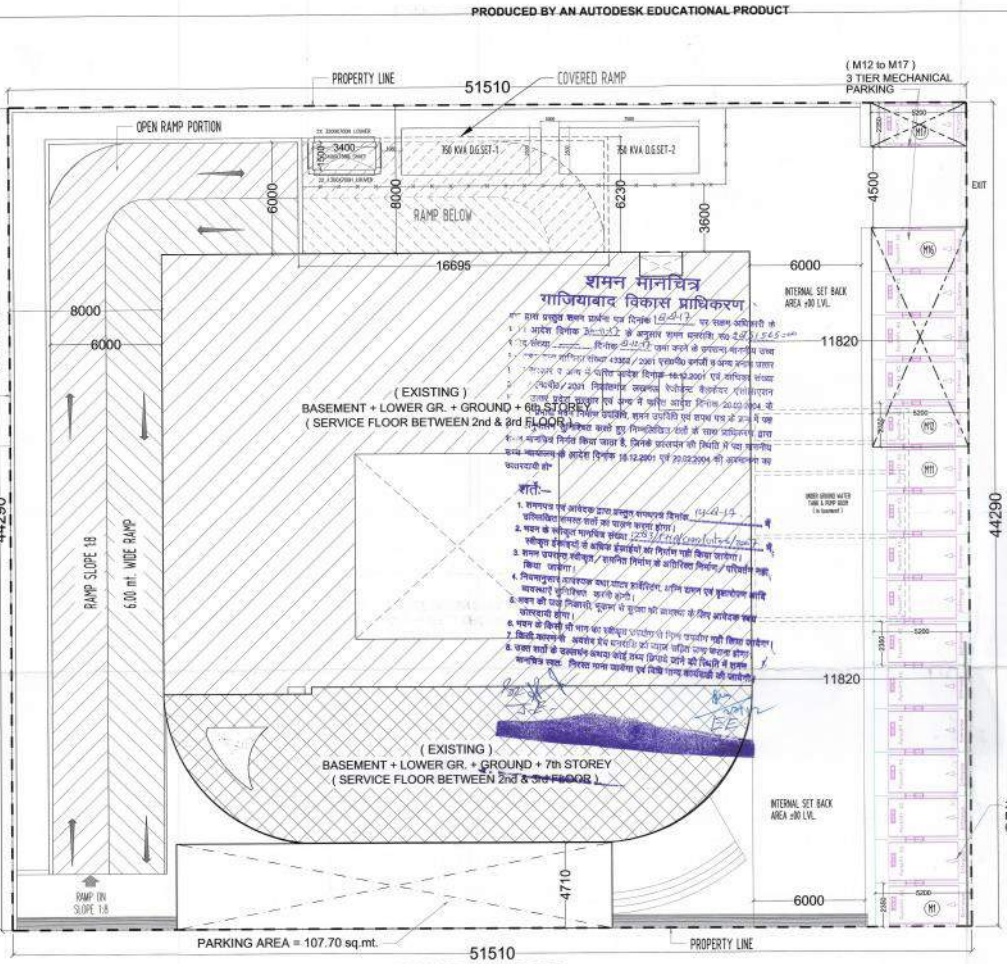

SITE PLAN

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

शर्तें:-

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा अनुमत शमनपत्र दिनांक 14-12-17 में प्रतिपादित शमनत शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 1253/Ch.Dn/Gzb/2017 से स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक इमारतों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत / शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण / परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक क्षमता मापदण्ड फायरिंग, अग्नि शमन एवं बुझावयन्त्र आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की छत निजारती मूल्यांकन में सूचना की आवश्यकता के लिए आवेदक स्वयं फोरदारी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवरोध ऐसे दस्तावेज की प्राप्ति जाँच जाँच कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन कालीक स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

S.NO	PARTICULARS	SQ.MTR.
1	TOTAL PLOT AREA	2281.45
2	EXISTING GROUND FLOOR AREA	826.30
3	TOTAL EXISTING BASEMENT AREA (in non f.a.r.) (in parking use including covered ramp)	1017.09
4	ALLOWED F.A.R. AREA = PERMISSIBLE F.A.R. + 10% COMPOUNDABLE AREA = 6,781.46 + 678.14 = 7,459.60 sq.mt.	7,459.60
5	EXISTING F.A.R. AREA	6,847.42

S.NO	FLOORS	EXISTING AREA
A	LOWER GROUND FLOOR	923.77
B	GROUND FLOOR	828.30
C	FIRST FLOOR	780.10
D	SECOND FLOOR	927.30
E	SERVICE FLOOR = 916.35 (in non f.a.r. area)	-----
F	THIRD FLOOR	792.00
G	FOURTH FLOOR	792.00
H	FIFTH FLOOR	792.00
I	SIXTH FLOOR	792.00
J	SEVENTH FLOOR	219.95
	TOTAL	6,847.42

6	EXISTING FIRE STAIR CASE AREA (in non f.a.r.)	165.77

ISSUE:- COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT PLOT NO.- 4, SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD.

OWNER:- M/s. - SAKHIPRIYA SECURITIES PVT. LTD.

DRAWN:- ASHOK KUMAR

DRAWING TITLE:- SITE PLAN

SIGNATURE | DESIGNATION

ANEJA ACADEMICAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)
PH.0120 - 4454732, 9810715, 765 , FAX - 2700455
e-mail:- aneja.associates@gmail.com

SCALE | DATE | DWG. No. CD-01

DRAWN BY | CHECKED BY

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

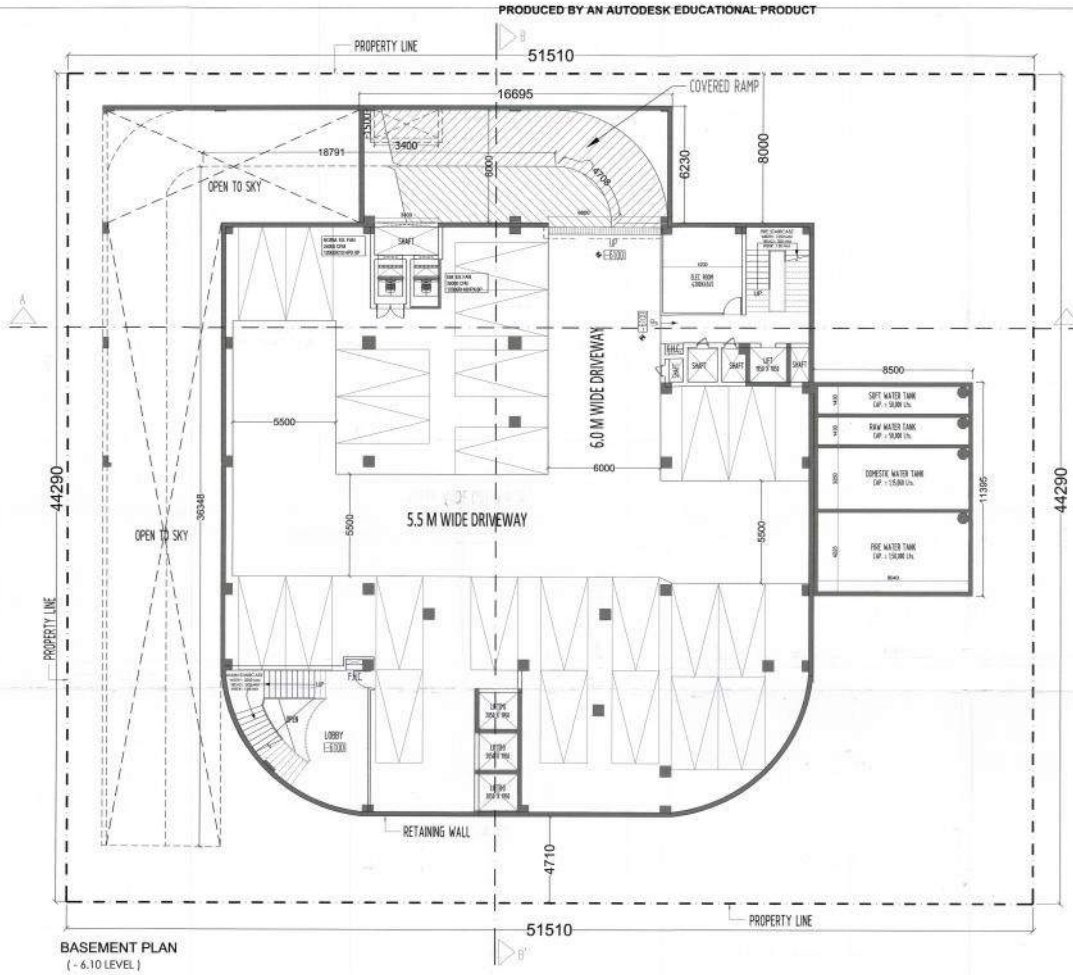

BASEMENT PLAN
(- 6.10 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 10-8-17 पर स्वीकृत
शमन आदेश दिनांक 31-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रु0 [illegible]
रसीद संख्या — दिनांक 9-12-17 जमा करने के पश्चात माननीय उच्च
न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43382/2001 एसएमडी बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर
प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या
2435/एसएमडी/2001 सिटीजंस जस्टिफाइ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन
बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के
अनुसार प्रथमदृष्टया भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शासन पत्र के क्रम में पाया
गया मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिसके उल्लंघन की स्थिति में यह मानचित्र
उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का
उत्तरदायी है।

शर्तें:—

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन दिनांक 14-8-17 के
अतिरिक्त समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 12-93/Tech/2017/6 Sheet 3 के
स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/समायोजित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं
किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक मध्य मार्ग इन्सीनेटर, अग्नि शमन एवं बुझावरोधन आदि
व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की उचित निकासी, भूकम्प से सुरक्षा की आवश्यकता के लिए आवेदक स्वयं
उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग के भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से आवंटित वैध धनराशि को व्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन
मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

J.E.

EE

PROJECT : COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT PLOT NO.- 6, SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD.	
OWNER : M/S. - SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.	
DESIGNER : ASHOK KUMAR	
DRAWING TITLE : BASEMENT PLAN (-6.10 LEVEL)	
DESIGNER	ARCHITECT
AFAQ AGARWAL ARCHITECTS OFFICE : A-2 KHAN MARKET GHAZIABAD (U.P.) PH. 0120 - 4104140, 4140744, 09, FAX : 2703860 E-mail : afaq.agarwal@gmail.com	
SCALE	DRAWN BY A. CHAUHAN / DATE
DESIGNED	CHECKED BY / DRG. No. CD-02

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

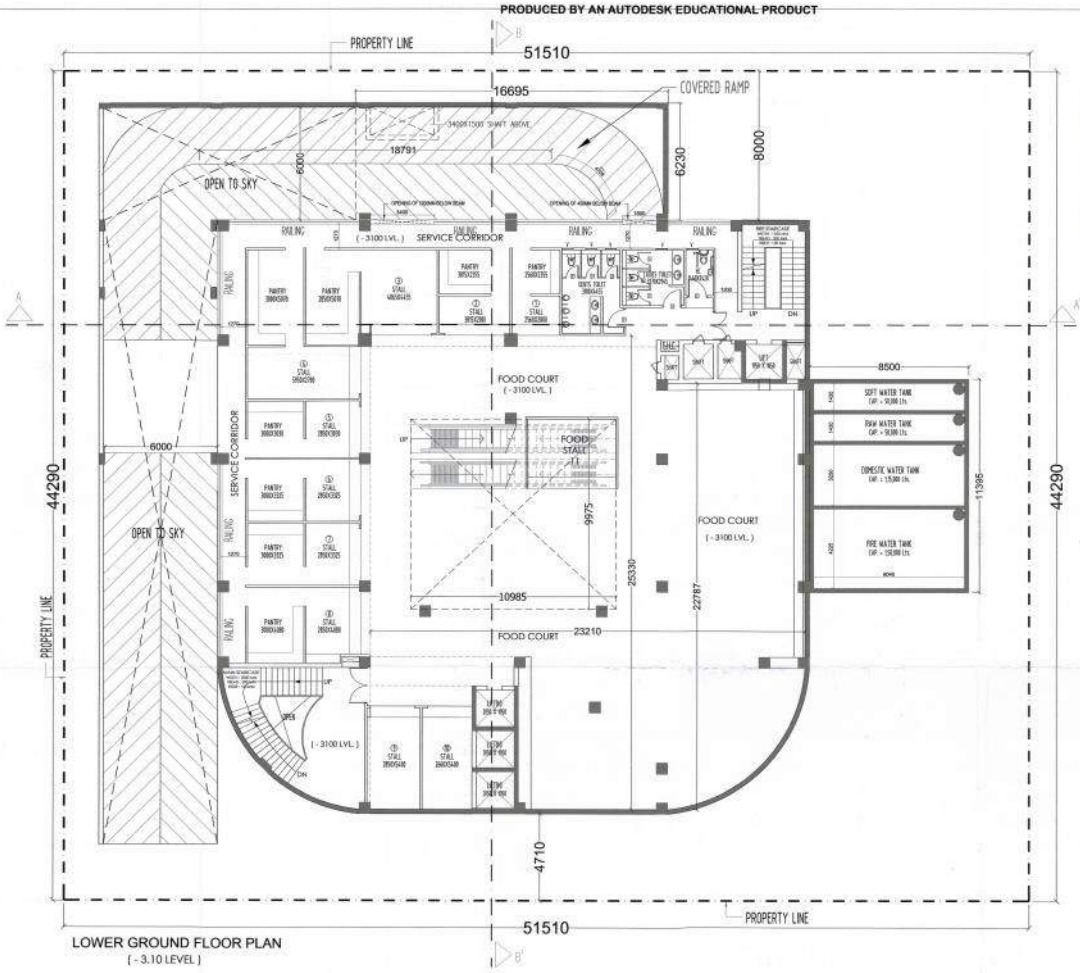

LOWER GROUND FLOOR PLAN
[- 3.10 LEVEL]

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह इकाई प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 7-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 2,85,51,565=00 स्वीय संख्या ..... दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसएमी बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 3435/एम्सी0/2001 निशातगंज लखनऊ रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शमन भवन के क्रम में यह द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उल्लंघनकारी हो"

शर्तें:-

1. शमनकर्ता एवं अभियंता द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-8-17 के परिलिखित समस्त शर्तों का पालन कराना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 12-03/Mp/16 on 16/5-6-2017 के स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनीय निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक मथा फायर सर्वेस्टिंग, अग्नि शमन एवं बुझावयन आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की उक्त निकासी, भूजल से मुक्ता की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का विद्युत उपयोग के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

J.E. EE

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " PLOT NO. - 6 , SECTOR - 5 VASHALI GHAZIABAD.
OWNER: M/s. - SAHYPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
ARCHITECT: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: [DESIGN] LOWER GROUND FLOOR PLAN
DEVELOPER | ARCHITECT
ANEO AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-104 GAUTAMPURI GHAZIABAD (U.P.)
SCALE | DRAWN BY A. CHAUHAN | DATE
DESIGN BY | CHECKED BY | DRG. NO. CD-03

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

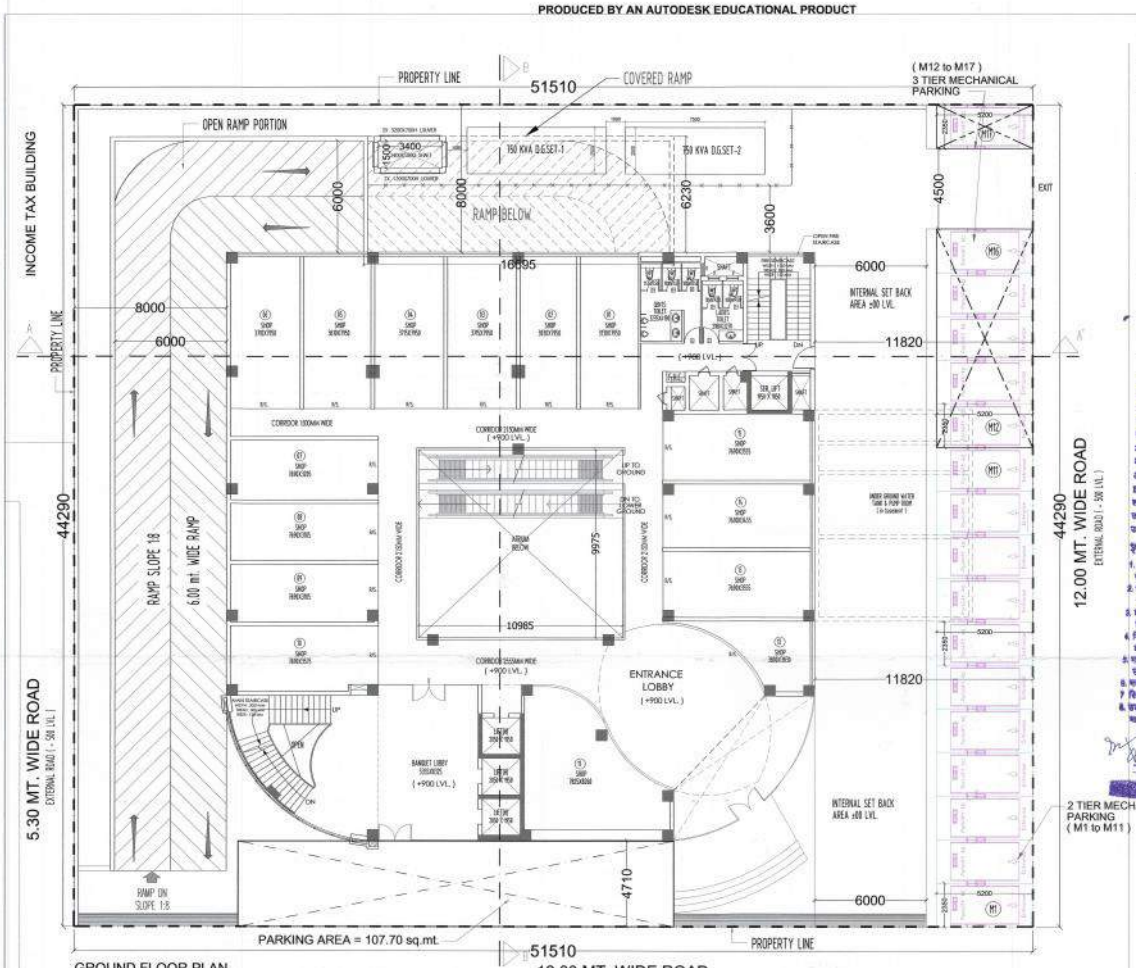

REQUIRED PARKING DETAIL
(AS PER COMPOUNDING)

A.	PARKING IN PREVIOUS SANCTION F.A.R. AREA		
	a.	PREVIOUS SANCTION F.A.R. = 6,355.29 sq.mt.	
	b.	PREVIOUS SANCTION PARKING = 95 E.C.S. ----(A1)	
B.	REQUIRED PARKING FOR EXISTING F.A.R. AREA		
	TOTAL EXISTING F.A.R. AREA = = TOTAL F.A.R. AREA - PREVIOUS SANCTION F.A.R. = 6,847.42 - 6,355.29 = 492.13 X 2.00 / 100 = 9.84 (say - 10 E.C.S) ----(A2)		
C.	TOTAL REQUIRED PARKING (A1 + A2) = 95 + 10 = 105 E.C.S.		

PROVIDED PARKING DETAIL

D.	TOTAL EXISTING BASEMENT AREA = 1017.09 sq.mt.	
E.	EXISTING / SANCTION BASEMENT PARKING AREA = Existing basement area - lift , staircase , electrical room ramp area, exhaust room area = 1017.09 - 170.59 = 846.50 sq.mt. SO = 846.50 / 13.75 = 61.56 (say = 61 e.c.s.)	61
F.	PARKING AREA IN OPEN = 107.70 so = 107.70 / 2 = 53.85 = 53.85 / 13.75 = 3.91 (say = 4 e.c.s.)	4
I.	MACHANICAL PARKING (2 tier) M1 to M11 = 11nos. x 2tier = 22 e.c.s.	40
II.	MACHANICAL PARKING (3 tier) M12 to M17 = 6nos. x 3tier = 18 e.c.s.	
TOTAL PROVIDED		105 e.c.s.

नगर नियोजन विकास प्राधिकरण

मानचित्र

यह हाया प्रस्तुत भवन प्रार्थना पत्र दिनांक 14-9-17 पर स्वीकृत आदेश दिनांक 3-11-17 के अनुसार भवन मानचित्र सं० 29513 65 रसीद संख्या ——— दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसोसीएशन कर्मचारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एम०बी०/2001 निशिकांत लखनऊ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, भवन उपविधि एवं शासन शर्त के क्रम में पत्र द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रमाणीकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिसके उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना उत्तरदायी हो-

शर्तें:—

1. शासनादेश एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-9-17 में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 1203/CHA/Comp/2017 के स्वीकृत इकाइयों से अधिक इकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शासन उपरान्त स्वीकृत/समनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक उच्च दाबीय ट्रांसफॉर्मर, अग्नि शमन एवं सुरक्षापरक आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की जेल निकासी, पुष्टता से सुगम भी आवश्यक के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से आवेदक देय धनराशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उक्त धनराशि भवन स्वामी/भूमिधर से वसूल की जायेगी।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई गलत तथ्य पाये जाने पर निर्गत मानचित्र निरस्त समझा जाएगा।

OWNER: M/S. SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
ARCHITECT: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: (EXISTING) GROUND FLOOR PLAN
ARCHITECT: ASHOK AGARWAL ARCHITECTS
SCALE: 1:100
DATE:
DRAWN BY:
CHECKED BY:
DRG. No.: CD-04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

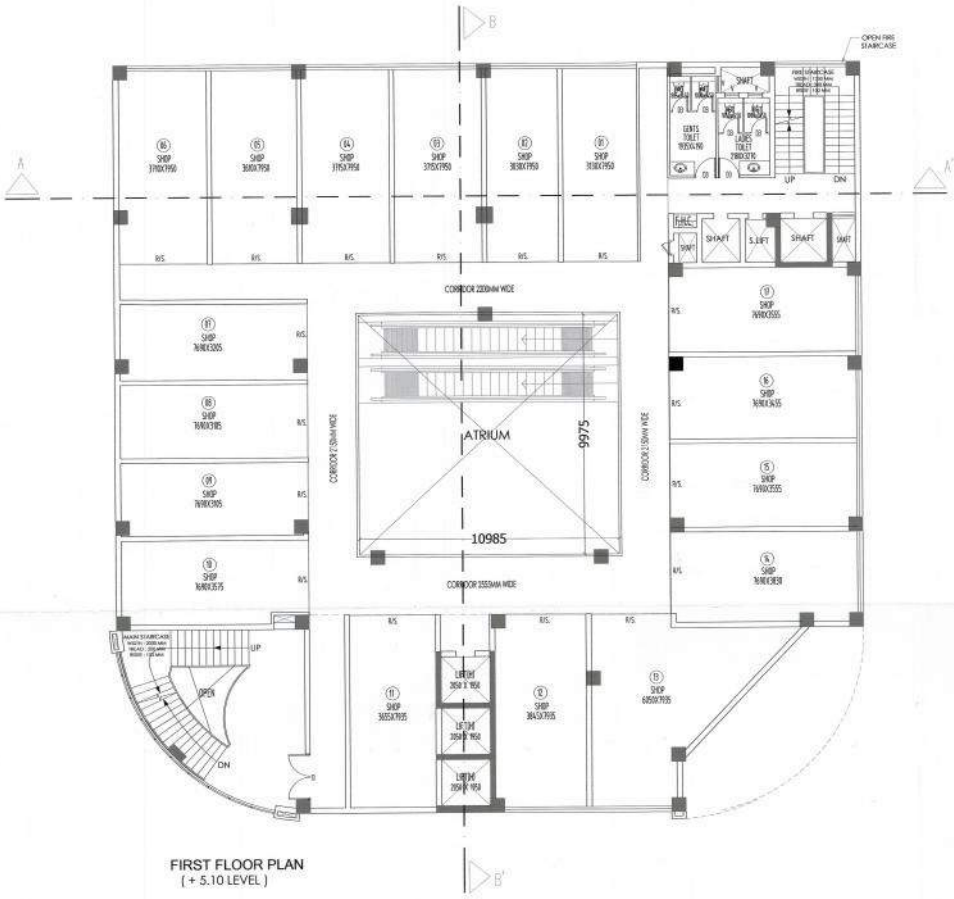

FIRST FLOOR PLAN
(+ 5.10 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 14-8-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 3-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 38,51,162.00 रसीद संख्या _____ दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसोसीएट बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 8435/एम0बी0/2001 निर्माणगंज सहकारी रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं सक्षम पत्र के क्रम में यह द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का फलदायी हो"

शर्तें:- 14-8-17

1. शमनपत्र एवं आवेदन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र दिनांक _____ उपविधियां तथा शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन को स्वीकृत मानचित्र संख्या 1263/Ch-II/Accomodation ... स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनित निर्माण से अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक सभी बाधा प्रावधान, लिफ्ट शमन एवं धूम्रापंखा आदि व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की छत पिकनिक, पूल से सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष देय धनराशि की गणना संशोधन पत्र भेजना होगा।
8. उपरा शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन आनुपातिक स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

J.E. E.E.

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " " PLOT NO.- 6, SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD.
OWNER: M/S - SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
DESIGNED: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: 1st FLOOR PLAN [EXISTING]
SIGNATURE | DESIGNED BY DATE
AMIT AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE: A-134 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)
Ph-0120-4224162, +91-9871, 98, 949 - 337570
e-mail: amit.agarwal@gmail.com
SCALE | DRAWN BY A. CHAUHAN | DATE
CHECKED BY D.MODI | DRG. NO. CD-05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

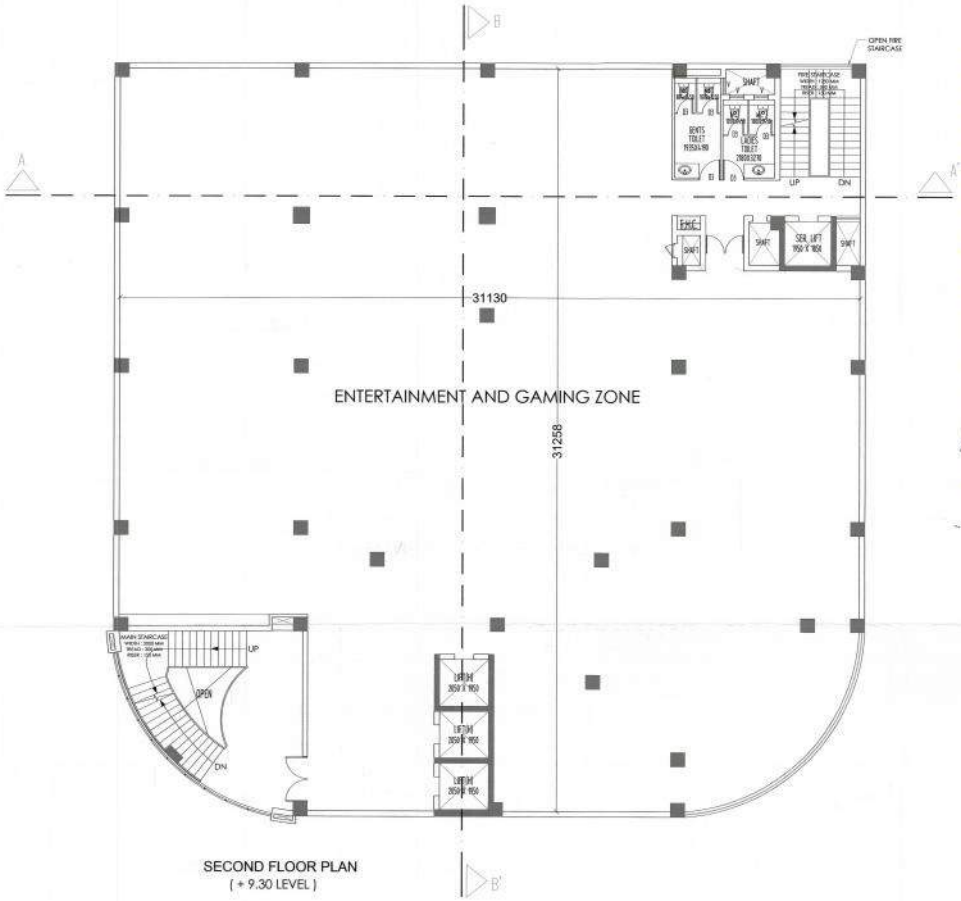

SECOND FLOOR PLAN
(+ 9.30 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यहां द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 14-01-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 30-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 2031565=00 रसीद संख्या ..... दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 ऐसोसीएट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2438/एम0बी0/2001 निशातगंज सहकारी रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं समय पत्र के क्रम में यह हाथ अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके पालन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की आवश्यकता का पालनकर्ता हो"

शर्तें:–

1. कागजपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन दिनांक 14-01-17 के परिवर्तित समय शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 12031/HA/2001/MP/2007 के स्वीकृत इकाइयों से अधिक इकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/सम्पोषित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक पर्याप्त पार्किंग, अग्नि शमन एवं सुरक्षात्मक आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की यह निजाबती, सुलभ्य से सुगम की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं जवाबदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग के भिन्न कार्यों में नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये पाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

J.E. E.E.

[redacted]

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT" PLOT NO. - 6 , SECTOR - 3 VASHALI GHAZIABAD.
OWNER: M/s. - SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
PROPOSED BY: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: (EXISTING) SECOND FLOOR PLAN
DEVELOPER | ARCHITECT
Design & Consultant
ANCO AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE: A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)
Ph-0120 - 4454102, 4140716, 35, Fax - 0120-
SCALE | CONCEPT | DATE
DESIGN BY | CHECKED BY | DRG. No. CD-06

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

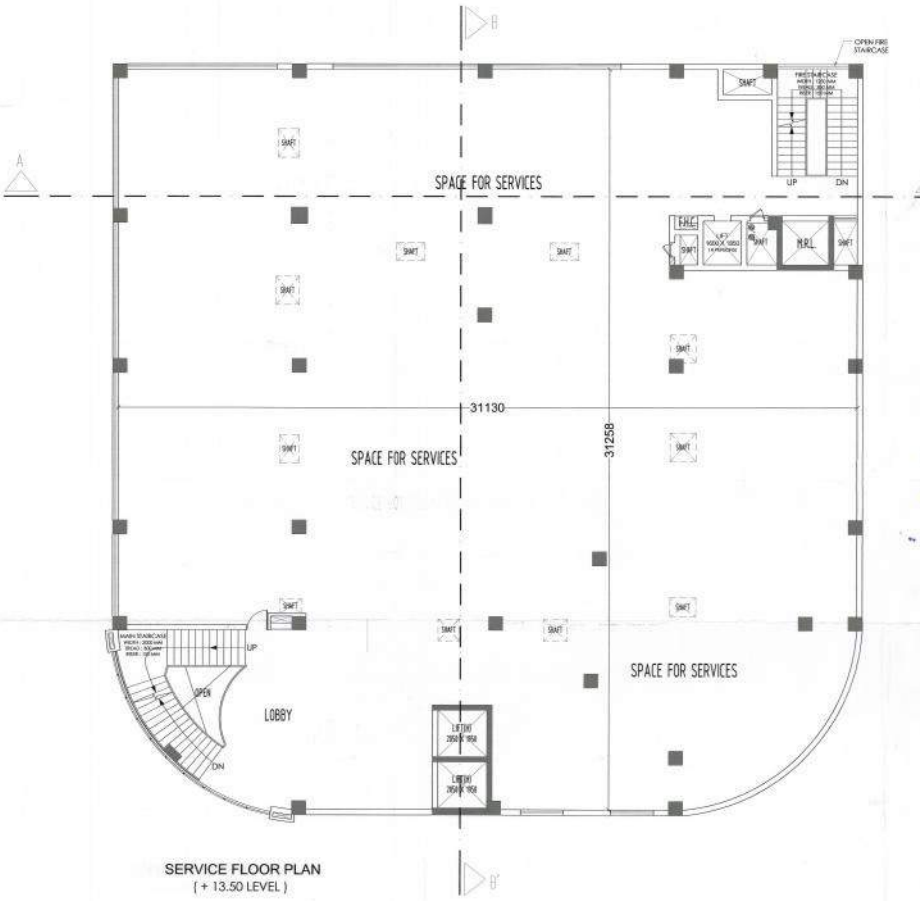

SERVICE FLOOR PLAN
(+ 13.50 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 19-8-17 पर स्वतः अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 30-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 2051565=00 रसीद संख्या ——— दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसोसीए बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एमबी0/2001 निखिलेशन लखनऊ रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के क्रम में यह द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो"

शर्तें:—

1. शमन [illegible] एवं आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत [illegible] दिनांक 14-8-17 में अंकित [illegible]
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 22831/MP/Com/2017-6/2002 में स्वीकृत इकाइयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन प्रावधान स्वीकृत/शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक अग्र बाहर डायरेक्टिंग, अग्नि शमन एवं वृक्षारोपण आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की जल निकासी, भूजल के सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी शमन से अवशेष देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. यदि शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

EE

PROJECT:
COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT "
PLOT NO.- 4 , SECTOR - 3 VASHALI GHAZIABAD.

OWNER:
M/S. - SAPPHIYA SECURITIES PVT. LTD.

ARCHITECT:
ASHOK KUMAR

DRAWING TITLE:
(EXISTING)
SERVICE FLOOR PLAN

DEVELOPER | ARCHITECT

ANCO AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE : A-204,RAJEEV VIHAR GHAZIABAD (U.P.)
PH.-0120 - 4656181, 4146313, M. 0999 - 3213002
E-MAIL : anco.agarwal@gmail.com

SCALE | DRAWN BY A.CHAUHAN | DATE
DESIGNED BY | CHECKED BY | DWG. No. CD-07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

(83)

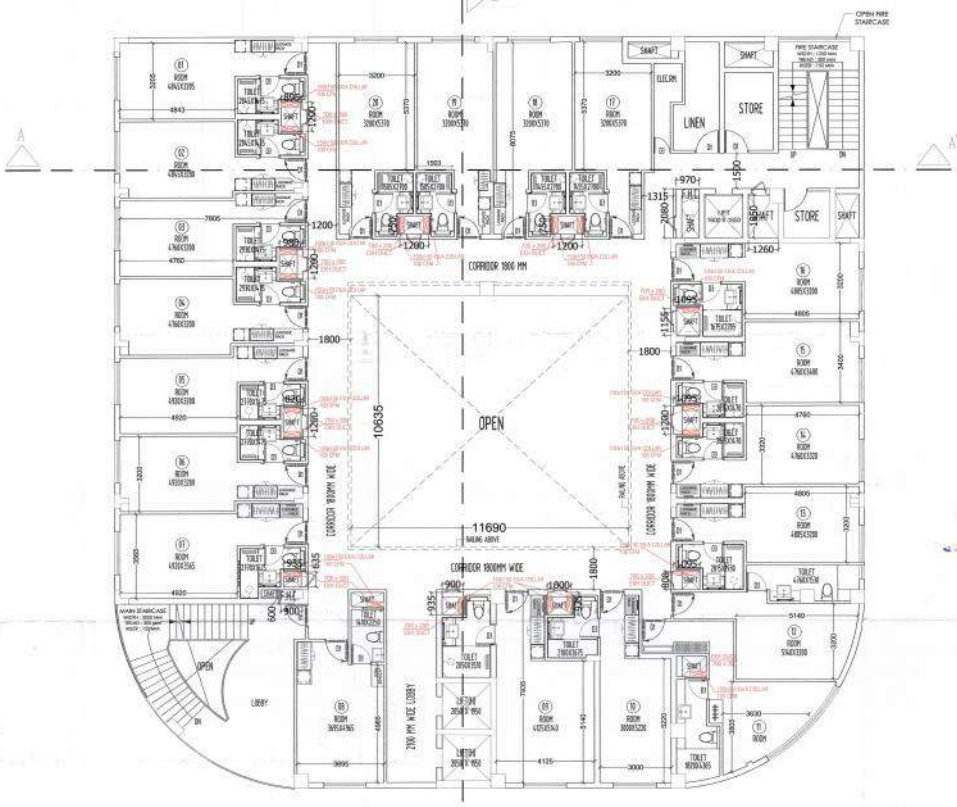

THIRD FLOOR PLAN
(+ 16.20 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यहा द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 18-8-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 3-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 2,651565.00 रसीद संख्या ..... दिनांक 6-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसएमी बनाम उ० अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2436/एसएमी/2001 निशांतगंज लवाक रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपनियम, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के क्रम में यह द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो"

शर्तें:-

1. शमनकर्ता एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-8-17 के अनुसार समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 1283/17-MP/2004-10/2007 के स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक संख्या वाटर हार्वेस्टिंग, अग्नि शमन एवं सुरक्षापरक आदि व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की छत निकासी, भूजल से सुरक्षा की आशंका के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष देय धनराशि की आय सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

F.E. F.E.

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC.			SEL. EQPT. PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORM./ FIRE	NORM. / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT.	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Prticular													
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	15	85.5	100	AF	1	100	1400	16

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT" PLOT NO.- 6 , SECTOR - 3 VASHALI GHAZIABAD.
OWNER: M/S. - SAIPYRIYA SECURRES PVT. LTD.
PROPOSAL: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: (EXISTING) THIRD FLOOR PLAN
DEVELOPER | ARCHITECTURAL

AMED AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE - A-DHYAKSHANI GHAZIABAD (U.P.)
PH.-0120 - 4404102 , +91-9716 , 9L FAX - 5773302
E-mail : amit.aroyaagarwal@gmail.com

SCALE | DRAWN BY A. CHAUHAN | DATE
DESIGN BY | CHECKED BY | DRG. NO. CD-08

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

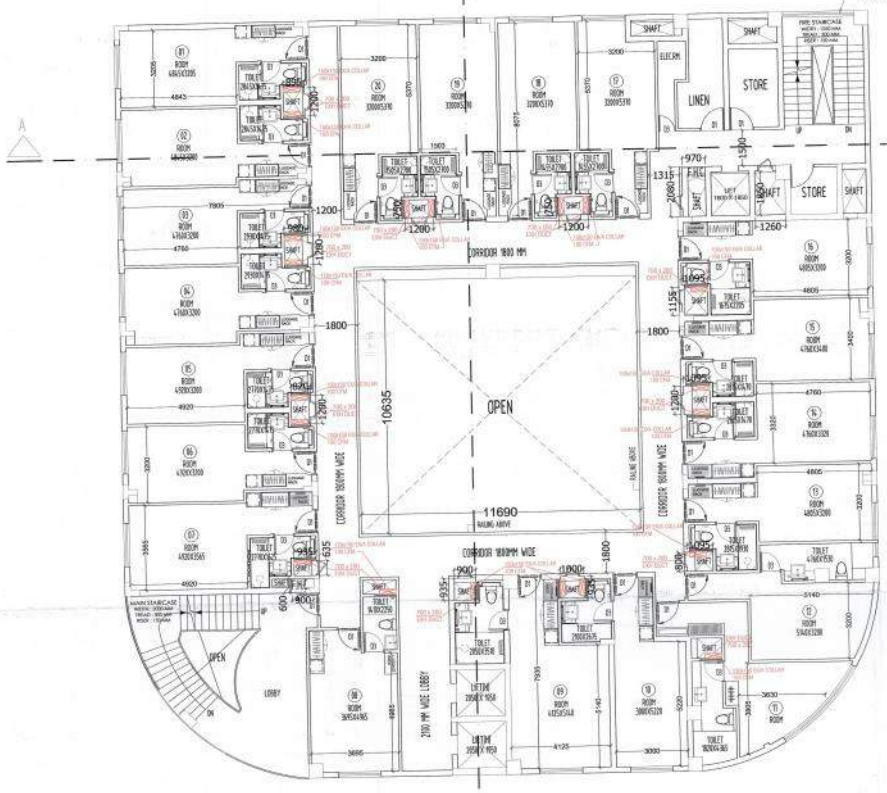

4th & 5th FLOOR PLAN
(+ 19.900 , + 23.200 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

श्री/ द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 29-8-17 पर शमन आदेश/ शमन आदेश दिनांक 20-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू० 285156.5 मात्र रसीद संख्या ____ दिनांक 9-11-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43382 / 2001 एसएमसी बनाम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435 / एसएमसी / 2001 निशातगंज लखनऊ रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शपथ पत्र के क्रम में यह शमन अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो"

शर्तें:-

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-8-17 की शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 1669/Hal/com/Sct-6/2017 के सीमित ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन प्रकरणों स्वीकृत / सामंजित निर्माण से अतिरिक्त निर्माण / परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक क्षमा वाटर हार्वेस्टिंग, अग्नि शमन एवं सुरक्षात्मक आदि व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की छत निवासी, भूखण्ड से सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग के भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से आवेदक देय धनराशि की कमी पाये जाने पर देय धनराशि जमा कराना होगा।
8. देयक शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

J.E.
F.E.

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC.			SEL. EQPT. PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORM./ FIRE	NORM. / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT.	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Prticular													
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	15	85.5	100	AF	1	100	1400	16

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " PLOT NO.- 6 , SECTOR - 3 VAISHALI GHAZIABAD.
OWNER: M/S. SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
ARCHITECT: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: (EXISTING) 4th & 5th FLOOR PLAN
SIGNATURE | SIGNATURE

Design Venture
ANUJ AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE: A-34A VASANT ENCLAVE (N.F.) PH. 0120 - 6454182 , 4149714, TEL FAX : 2770002
E-MAIL : info@anujagarwalarchitects.com

SCALE | DRAWN BY A. CHAUHAN | DATE | DESIGN BY | CHECKED BY | DWG NO. CD-09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

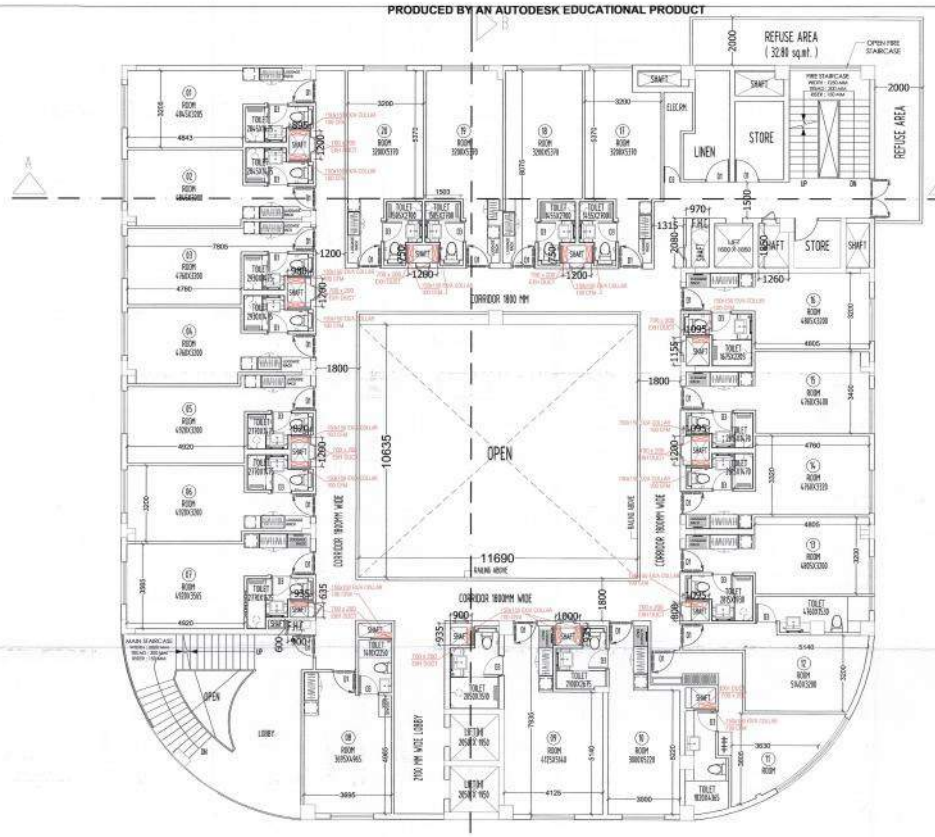

6th FLOOR PLAN
(+ 26.500 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 10-8-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 5-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू० 2851565/- रसीद संख्या ..... दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43582/2001 एसोसी० बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एसबी०/2001 निवेदितांग लकवाग्रस्त रोगी केन्द्र बैलकेयर एसोसेएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रथायी भवन निर्माण उपसमिति, शमन उपसमिति एवं शमन पत्र के क्रम में पत्र द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में पत्र माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का जिम्मेदारी हो-

शर्तें-

1. मानचित्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन विवरण 14-8-17 में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 22/2/Hal/Con/17-4/2007 में स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक मार्ग यातायात सेवादिशा, गति शमन एवं पुनर्वास आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की उठ निकासी, भूकम्प से सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उपरा शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

J.E. E.E.

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " PLOT NO.- 6 , SECTOR - 5 VASUNDHARA GHAZIABAD.
OWNER: M/s. - SARVPRIYA SECURITIES PVT. LTD.
ARCHITECT: ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE: (EXISTING) 6th FLOOR PLAN
BUILDERS | ARCHITECTS
AMIT AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-244 KAVI NAGAR GHAZIABAD U.P.
Ph-0120- 4841492, 4145716, 30, Fax - 2775551
E.Mail:- amitarchitects@yahoo.com
SCALE: NOT TO SCALE | DRAWN BY | DATE | CHECKED BY | DRG. No. CD-10

S. No.	ROOM/AREA NAME	AREA	HT.	VOL	DUTY	DUTY	AIR QTY. CALC.			SEL. EQPT. PER UNIT				TOTAL QTY.
		SQM.	M.	CUM.	NORM./ FIRE	NORM. / EXHAUST	ACPH	CFM	SEL. CFM	EQPT.	QTY.	CFM	TOTAL CFM	
	Prticular													
1	TOILETS AREA (maximum)	7.15	3	21.45	NORMAL	EXHAUST	15	85.5	100	AF	1	100	1400	16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

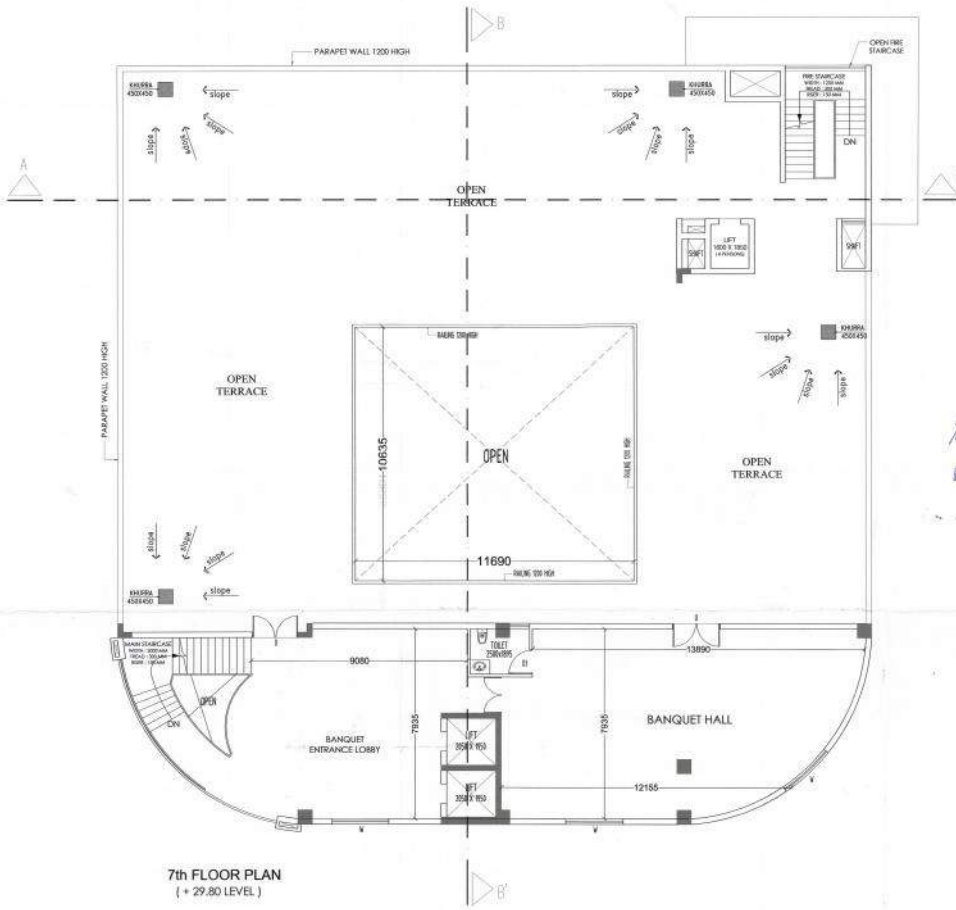

7th FLOOR PLAN
(+ 29.80 LEVEL)

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 10-8-17 पर सक्षम अधि[illegible] के शमन आदेश दिनांक 30-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 2851560=00 रुपये संख्या _____ दिनांक 5-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43082 / 2001 एस0पी0 बंगर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2455 / एस0बी0 / 2001 निर्माणगंज उपभोक्ता रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शासन पत्र के द्वारा में पक्ष द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिसके उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का दोषदायी हो"

शर्तें:-

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सपथपत्र दिनांक 14-8-17 में उल्लिखित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 17-63 [illegible] में स्वीकृत ईकाइयों से अधिक ईकाईयों का निर्माण नही किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत / शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण / परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक संख्या वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल एवं कुआरोपण आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की जल निकासी, मूत्रालय से सुलभ की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अग्रवर्ती रोड़ चौड़ीकरण की योजना प्रकाशित करना उपयुक्त होगा।
8. भवन मार्ग के उल्लंघन अथवा कोई अन्य विषय जो आने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

F.E.

E.E.

PROJECT	COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT" FLOT NO.- 4 , SECTOR - 3 VASUNDRA GHAZIABAD.
OWNER	M/s. - SARVPRIYA SECURRIES PVT. LTD.
DRAWN BY	ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE	(EXISTING) 7th FLOOR PLAN
DEVELOPER	ARCHITECTS

ANKIT AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-244 GARHI NAIK GHAZIABAD (U.P.)
PH.+0120 - 4154722 , +91-0774, 98, PH. - 3772262
e-mail : ankit.aggarwal@gmail.com

SCALE	DRAWN BY	DATE
DESIGN BY	CHECKED BY	DWG. No. CD-11

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

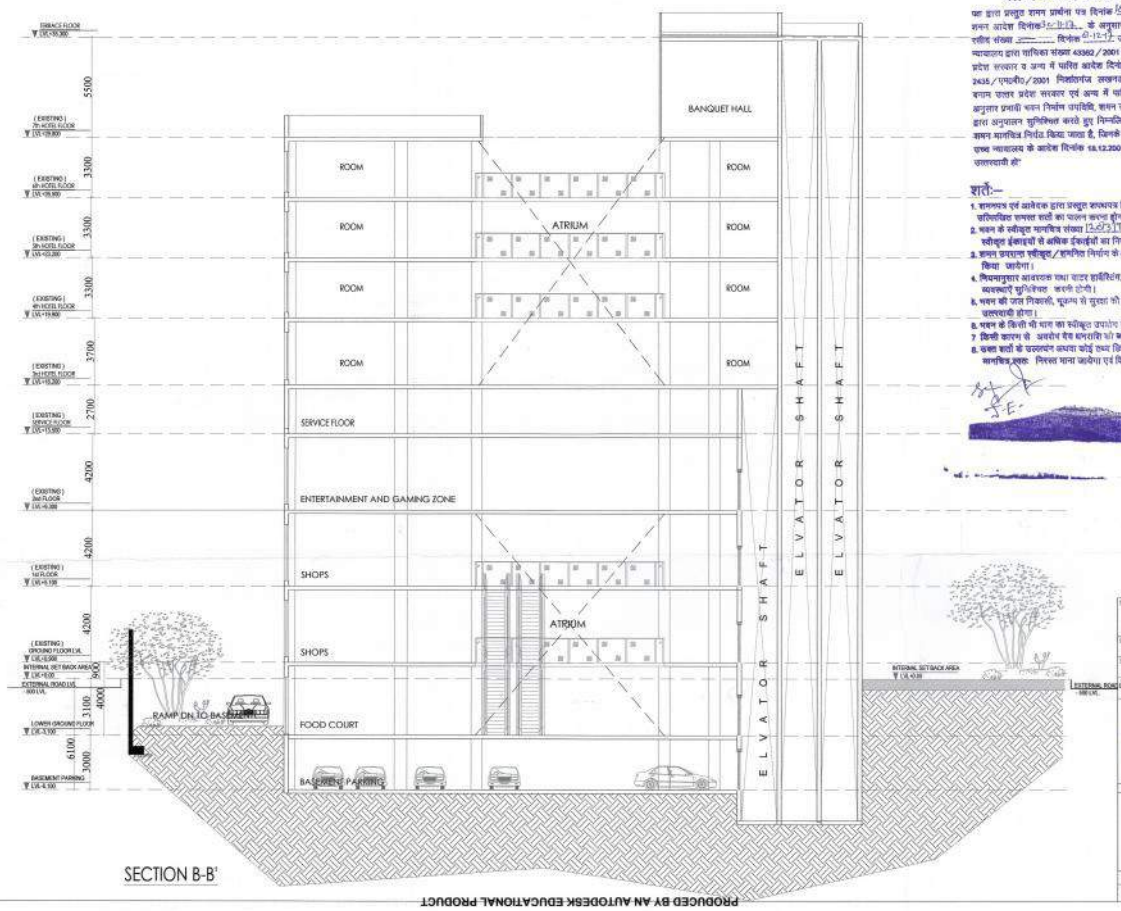

SECTION B-B'

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 19-8-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 5-8-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 285565=00 रसीद संख्या ——— दिनांक 8-12-17 जमा कराने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43562/2001 एसएमपी बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एसएमपी/2001 गिरीशनाथ उपाध्याय वेसीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शमन पत्र के क्रम में पक्ष द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में पक्ष माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो:

शर्तें:—

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-8-17 में वर्णित शमन शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 2073/TH/10am/18-6/2012 में स्वीकृत इकाइयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/शमनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक संख्या वाटर हार्वेस्टिंग, अग्नि शमन एवं वृक्षारोपण आदि व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी।
5. भवन की जन निकासी, भूकम्प से सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष शेष धनराशि भी ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि मान्य कार्यवाही की जायेगी।

E.E.

E.E.

PROJECT:	COMPOUNDING DRAWING FOR 'THE COMMERCIAL PROJECT' PLOT NO.- 6 , SECTOR - 3 VASHALI GHAZIABAD.
OWNER :	M/s - SAINYRIYA SECURITIES PVT. LTD.
ARCHITECT :	ASHOK KUMAR
DRAWING TITLE:	SECTION - "BB"
DEVELOPER	ARCHITECT SIGN

ANUJ AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)
PH 0120 - 4454182 , 4154713, 23, FAX - 2272005
e.mail : anuj.agarwal@gmail.com

SCALE	DRAWN BY A. CHAUHAN	DATE
DESIGN BY	CHECKED BY	DWG. NO. CD-12

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

78

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

यह हेतु प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 19-9-17 पर सक्षम अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 30-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रू0 3,25,51,560 रसीद संख्या ..... दिनांक 9-12-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43582/2001 एसएमी बनर्जी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2436/एसबीडी/2001 निशातगंज लखनऊ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रभावी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शमन पत्र के क्रम में यह द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो"

शर्तें:-

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत सपथपत्र दिनांक 14-8-17 में परिलक्षित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के संशोधित मानचित्र संख्या 12-03/ई.ए.सी.एन/बी.ए.सी/2007 के संशोधित ईकाइयों से अधिक ईकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपबन्ध संशोधन/समाप्ति निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक बफर डायरीज़ोन, अग्नि शमन एवं हुडारोपण आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की छत निकासी, भूकम्प से सुरक्षा की अपेक्षा के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का संशोधन उपबन्धों से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. किसी कारण से अवशेष रोड इण्डाइटी गो आड़े भविष्य जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये पाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं जिसे मान्य कार्यवाही की जायेगी।

J.E. E.E.

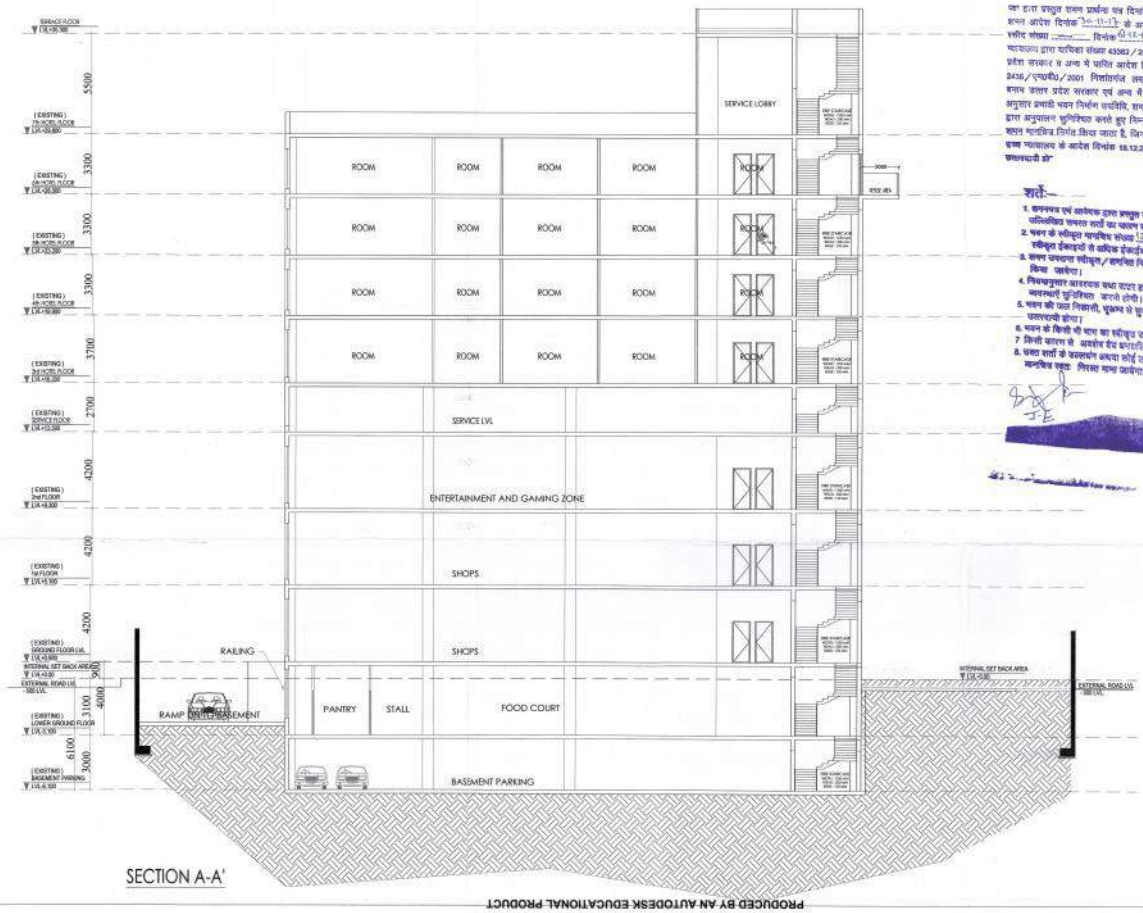

SECTION A-A'

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " PLOT NO.- 6 , SECTOR - 3 VASUNDHARA GHAZIABAD.

OWNER: M/s. - SAKYPRIYA SECURITIES PVT. LTD.

DRAWN BY: ASHOK KUMAR

DRAWING TITLE: SECTION - "AA"

DEVELOPER | ARCHITECT

ARULE AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE: A-244 KHORANAR GHAZIABAD (U.P.)
PH: 0120 - 4004182 , 9162714, 9810 - 3375887
e-mail : arch.arulagarwal@gmail.com

SCALE | DRAWN BY: A.CHAUHAN | DATE | DESIGN BY | CHECKED BY | DRG. NO. CD-13

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ELEVATION

शमन मानचित्र
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

ज्ञा द्वारा प्रस्तुत शमन प्रार्थना पत्र दिनांक 14-8-17 पर शमन अधिकारी के शमन आदेश दिनांक 30-11-17 के अनुसार शमन धनराशि रु0 38,51,565=00 रसीद संख्या ..... दिनांक 9-8-17 जमा करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 43362/2001 एसएलपी बनाम उ० प्र० बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं याचिका संख्या 2435/एसबीपी/2001 निशातगंज लखनऊ रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.02.2004 के अनुसार प्रथमी भवन निर्माण उपविधि, शमन उपविधि एवं शाश्व पत्र के क्रम में ज्ञा द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है, जिनके उल्लंघन की स्थिति में ज्ञा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2001 एवं 20.02.2004 की अवमानना का उत्तरदायी हो"

शर्तें:-

1. शमनपत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 14-8-17 में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. भवन के स्वीकृत मानचित्र संख्या 12-83/17-18/coordinator/2nd के स्वीकृत इकाइयों से अधिक इकाइयों का निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. शमन उपरान्त स्वीकृत/समनित निर्माण के अतिरिक्त निर्माण/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. नियमानुसार आवश्यक पार्क काटा डायेडिंग, अग्नि शमन एवं इमारतेपन आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी।
5. भवन की जल निकासी, भूजल से पूरता की आवश्यता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
6. भवन के किसी भी भाग का स्वीकृत उपयोग से भिन्न उपयोग नहीं किया जायेगा।
7. डेली कारण से आवेदक देय धनराशि को ब्याज सहित जमा कराना होगा।
8. उक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा कोई तथ्य छिपाये जाने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं विधि नाम कार्यवाही की जायेगी।

E.E.

E.E.

PROJECT: COMPOUNDING DRAWING FOR THE COMMERCIAL PROJECT " PLOT NO.- 6 - SECTOR - 5 VASHALI GHAZIABAD.	
OWNER: M/S. - SAFAPRIYA SECURITIES PVT. LTD.	
PROPOSED: ASHOK KUMAR	
DRAWING NO.: ELEVATION	
DESIGNER	ARCHITECT/MAP
ARKEE AGARWAL ARCHITECTS OFFICE: A-344 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.) Ph.0120 - 6454182 , 4102742, 91 Fax. 2710802 e-mail : arch.arkeeagarwal@gmail.com	
SCALE	DRAWN BY: A. CHAUHAN / DATE
DESIGN BY	CHECKED BY / DATE / DWG. No. CD-14

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

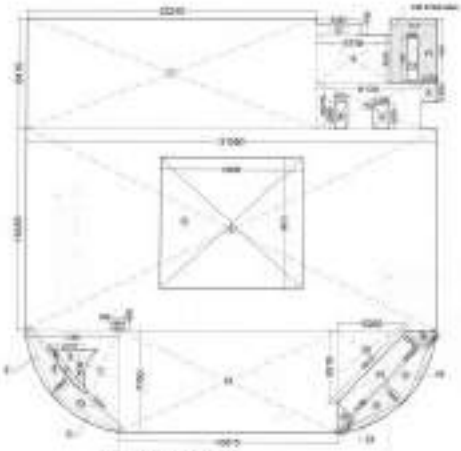

GROUND FLOOR AREA

FIRST FLOOR AREA

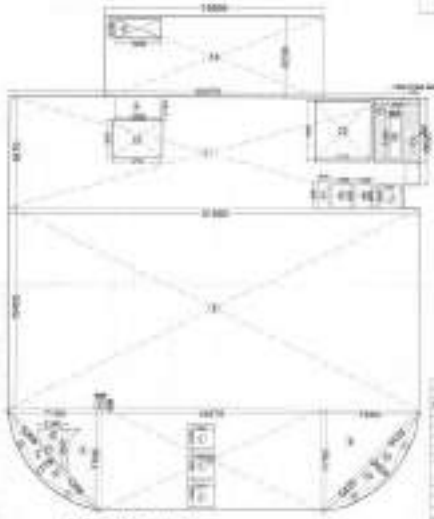

BASEMENT PLAN AREA

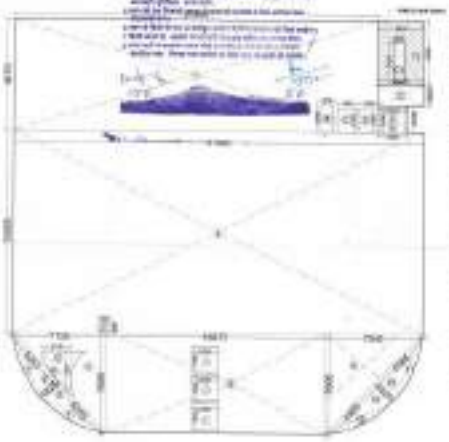

LOWER GROUND FLOOR AREA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

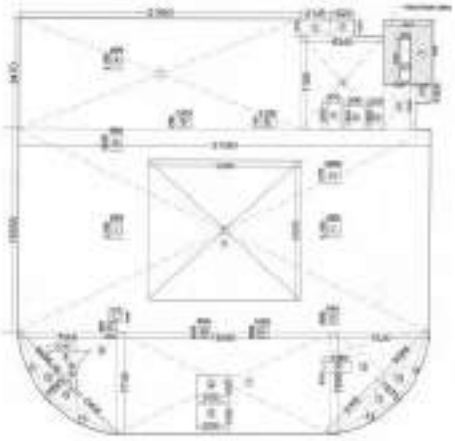

GROUND FLOOR AREA

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]
NET AREA		[illegible]

less - shaft area

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
A.	[illegible]	[illegible]
B.	[illegible]	[illegible]
C.	[illegible]	[illegible]
D.	[illegible]	[illegible]
E.	[illegible]	[illegible]
F.	[illegible]	[illegible]
G.	[illegible]	[illegible]
H.	[illegible]	[illegible]
I.	[illegible]	[illegible]
J.	[illegible]	[illegible]
K.	[illegible]	[illegible]
L.	[illegible]	[illegible]
M.	[illegible]	[illegible]
N.	[illegible]	[illegible]
O.	[illegible]	[illegible]
P.	[illegible]	[illegible]
Q.	[illegible]	[illegible]
R.	[illegible]	[illegible]
S.	[illegible]	[illegible]
TOTAL AREA		[illegible]

TOTAL AREA = (Net area - (S to Q) area)
= [illegible] - [illegible]
= [illegible] sq.mt.

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
NET AREA		[illegible]

less - shaft area

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
A.	[illegible]	[illegible]
B.	[illegible]	[illegible]
C.	as per calculation	[illegible]
TOTAL AREA		[illegible]

TOTAL AREA = (Net area - (A to C) area)
= [illegible] - [illegible]
= [illegible] sq.mt.

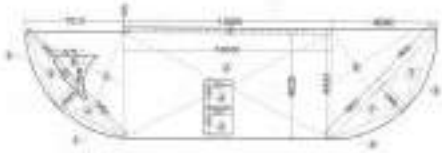

7th FLOOR AREA

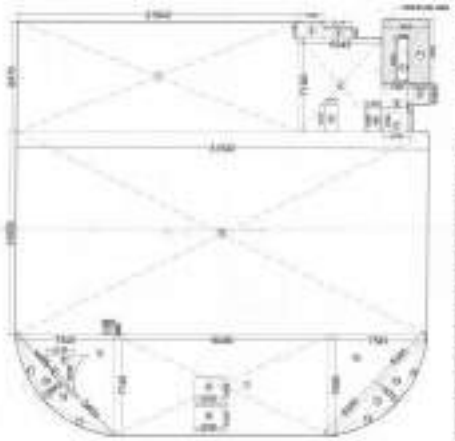

SECOND FLOOR AREA

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]
NET AREA		[illegible]

less - shaft area

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
A.	[illegible]	[illegible]
B.	[illegible]	[illegible]
C.	[illegible]	[illegible]
D.	[illegible]	[illegible]
E.	[illegible]	[illegible]
F.	[illegible]	[illegible]
G.	as per calculation	[illegible]
H.	[illegible]	[illegible]
TOTAL AREA		[illegible]

TOTAL AREA = (Net area - (A to G) area)
= [illegible] - [illegible]
= [illegible] sq.mt.

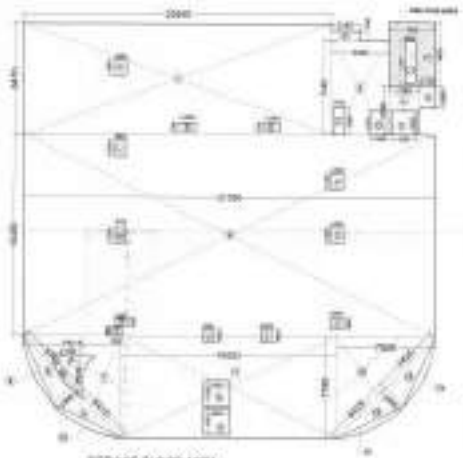

SERVICE FLOOR AREA

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
1.	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]
14.	as per calculation	[illegible]
NET AREA		[illegible]

less - shaft area

S. NO.	DIMENSIONS	AREA(sq.mt.)
A.	[illegible]	[illegible]
B.	[illegible]	[illegible]
C.	[illegible]	[illegible]
D.	[illegible]	[illegible]
E.	[illegible]	[illegible]
F.	[illegible]	[illegible]
G.	[illegible]	[illegible]
H.	[illegible]	[illegible]
I.	[illegible]	[illegible]
J.	[illegible]	[illegible]
K.	[illegible]	[illegible]
L.	[illegible]	[illegible]
M.	[illegible]	[illegible]
N.	[illegible]	[illegible]
O.	[illegible]	[illegible]
P.	[illegible]	[illegible]
Q.	[illegible]	[illegible]
R.	as per calculation	[illegible]
TOTAL AREA		[illegible]

TOTAL AREA = (Net area - (A to R) area)
= [illegible] - [illegible]
= [illegible] sq.mt.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT